राजस्थान विधान सभा

बारहवीं बैठक, गुरुवार, दिनांक २६ मार्च, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में सायं ४. १३ बजे प्रारम्भ हुई ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २२१

वेटरनरी कालेज बीकानेर में खेल के मैदान की व्यवस्था

श्री प्रभुदयाल—क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या वेटरनरी कालेज बीकानेर में प्लेग्राउन्ड की व्यवस्था है ?

(ख) अगर हां, तो कहां है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) बीकानेर वेटरनरी कालेज में निम्नलिखित प्लेग्राउन्ड्स बना दिये गये हैं ।

(१) फुटबॉल ग्राउन्ड

(२) वॉलीबॉल ग्राउन्ड

(३) टेनिस कोर्ट

(४) क्रिकेट ग्राउन्ड

(५) राइडिंग रिंग

(६) टूरनिके ग्राउन्ड ।

(ख) ये सब ग्राउन्ड्स राजस्थान वेटरनरी कालेज, विजय भवन में है ।

Page No 2

श्री प्रभुदयाल—क्या यह सही है कि जिन ग्राउन्ड्स के बनने का जिक्र आपने किया है कार्यरूप में परिणत नहीं किये गये हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—विजयभवन में ये ग्राउन्ड्स हैं और वहां पर खेल भी होते

श्री प्रभुदयाल—क्या आप दुबारा जांच कराने को तैयार हैं कि वहां खेल होते हैं या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब वहां पर ग्राउन्ड्स हैं तो जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—आपने अभी बताया कि विजय भवन में खेल होते हैं तो क्या इन डोर खेल होते हैं या आउट डोर ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आउट डोर खेलों के लिये ग्राउन्ड्स हैं।

प्रश्न संख्या २२२

ठाकुर श्री मदनसिंहजी अध्यक्ष, भूस्वामी संघ, को सीकर जिलाधीश की आज्ञा से नजर बन्दी करना

श्री जवानसिंह (श्री तनसिंह की अनुपस्थिति में)—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) क्या ठाकुर मदनसिंहजी, अध्यक्ष, राजस्थान भूस्वामी संघ, को सीकर जिलाधीश की आज्ञा द्वारा नजरबन्द किया गया था ?

(ख) क्या यह सही है कि उन्होंने उक्त हुक्म के विरुद्ध हैबियस कारपस की दरख्वास्त हाई कोर्ट में दी और हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के कारणों को अपर्याप्त मानकर उन्हें मुक्त करने के आदेश दिये ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है कि जिन्होंने पर्याप्त कारण न उपलब्ध होते हुए भी ठाकुर मदनसिंह के नागरिक अधिकारों पर कुठाराघात कर उन्हें जेल भेजा ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

Page No 3

श्री रामकिशोर व्यास—(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) कुछ ग्राउन्ड्स ऑफ डिटेन्शन वेग होने के सबब से हाईकोर्ट ने श्री मदनसिंह को मुक्त किया गया।

(घ) इसकी आवश्यकता नहीं है। जिलाधीश सीकर को श्री मदनसिंह की हरकतों से जन साधारण की शान्ति भंग होने का अन्देशा था अतः उनको प्रीवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट, १९५० के तहत गिरफ्तार किया गया।

श्री जवानसिंह—प्रश्न के (घ) भाग यदि नहीं तो क्यों नहीं का जवाब नहीं मिला।

श्री रामकिशोर व्यास—इसका जवाब मैंने दिया है।

श्री हिम्मतसिंह—सुना नहीं इसलिये पूछा है।

रामकिशोर व्यास—नहीं सुना है तो फिर सुन लीजिये। इसका जवाब यह था: इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री जवानसिंह—जब उनको डिटेन करने के कारण अपर्याप्त थे तो पहले ही छोड़ने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

श्री रामकिशोर व्यास—अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। हाई कोर्ट ने कारण अपर्याप्त समझे होंगे इसलिये छोड़ने का आदेश दिया।

प्रश्न संख्या २२३

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—Kishangarh will go unrepresented today. (हंसी)

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

प्रश्न संख्या २२४

बीकानेर वेटेरनरी कालेज में छात्रावास की व्यवस्था करने सम्बन्धी

श्री प्रभूदयाल—क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या बीकानेर वैटेरनरी कालेज में छात्रों के रहने की व्यवस्था हेतु बजट में छात्रावास बनाने के लिये प्रोवीज़न रखा गया है ?

(ख) अगर हां, तो कब तक तैयार हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (कृषि मंत्री)—(क) वेटेरनरी कालेज, बीकानेर के छात्रों के रहने के लिये विशेषकर ४० छात्रों के रहने के लिये होस्टल कायम किया गया है। १२५ से १५० छात्रों के लिये सादूल सदन बिल्डिंग खरीदा जा रहा है। जब तक नहीं खरीदा जाता तब तक जो भी जगह इस कालेज के छात्रों के लिये अभी है उसी से काम चलाया जा रहा है।

(ख) ५५. ५६ के बजट में जो रकम स्वीकार की गई है वह इस प्रकार है—

सादूल सदन बिल्डिंग खरीदने के लिये	१ लाख ५० हजार रू०
इसकी मरम्मत के लिये	१ लाख १० हजार रू०
छात्रों के लिये बरतन आदि के लिये	१,५०० रू०

नया होस्टल ५६. ५७ में दूसरी पंचवर्षीय योजना में तैयार होगा।

श्री प्रभूदयाल—सादूल सदन बिल्डिंग कब तक खरीदली जायगी ?

श्री भोगीलाल पंडया—यह बिल्डिंग खरीद ली गई है १ लाख ५० हजार रूपये चुका दिये गये हैं।

श्री प्रभूदयाल—छात्रों की रहने की व्यवस्था कब तक करदी जायगी ?

श्री भोगीलाल पंडया—छात्रों के लिये अभी व्यवस्था है। बिल्डिंग खरीद ली गई है। यदि आवश्यकता हुई तो शीघ्र ही इसमें व्यवस्था करदी जायगी।

प्रश्न संख्या २२५

डाकू बलवन्तसिंह द्वारा आत्मसमर्पण के पश्चात् डाके एवं हत्यायें

श्री जवानसिंह (श्री तनसिंह की अनुपस्थिति में)—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

Page No 5

[श्री जवानसिंह]

(क) डाकू बलवन्तसिंह द्वारा आत्म-समर्पण के बाद कितने डाके डाले गये ?

(ख) उन डाकों में कितनी सम्पत्ति लूटी गई तथा कितने व्यक्तियों की हत्या की गई।

(ग) सरकार उक्त डाकू को पकड़ने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—(क) डाकू बलवन्तसिंह द्वारा आत्म समर्पण के बाद केवल एक डाका डाला गया।

(ख) इस डाके में रू० ७४० की मूल्य की सम्पत्ति लूटी गई और एक आदमी मारा गया।

(ग) बलवन्तसिंह को गिरफ्तार करने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री जवानसिंह—यह डाका कहां डाला गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—बालासर के पास जहां श्री हयात मारे गये थे, वहीं डाका डाला गया था।

प्रश्न संख्या २२६

राजस्थान में वेटरनरी अस्पतालों में सालोतरियों नियुक्ति एवं उनके वेतन आदि

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान में वेटरनरी अस्पतालों में कहां कहां सालोतरी नियुक्त हैं ?

(ख) सालोतरी के वेतन की ग्रेड क्या है ?

(ग) क्या सालोतरियों का फिक्सेशन हो चुका है ?

(घ) यदि हां, तो कब ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) राजस्थान में ६ सालोतरियों की पोस्टस स्वीकृत की गई हैं। उनमें से वर्तमान चिकित्सालयों में चित्तौड़, भवानी मन्डी, सुमेरपुर, सीरोंज, रामगढ़ (अलवर) व रामगंज मण्डी में हैं।

(ख) सालोतरियों के वेतन का ग्रेड ५०-३-८०-४-१०० कम्पाउन्डरों के मुताबिक ही है।

(ग) हां, तीन का हो चुका है, दो का होना बाकी है व एक की आवश्यकता नहीं।

(घ) इनका फिक्सेशन जून, ५५ में हो चुका है।

(ङ) दो सालोतरियों का जिनका कि फिक्सेशन होना बाकी है। उनके लिये इस विभाग व आडिट के साथ पत्र व्यवहार चल रहा है। एक का एम्पलायमेन्ट १.४.५० के बाद में हुआ है सो उसके फिक्सेशन की आवश्यकता नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—जिनका फिक्सेशन बाकी है उनका कब तक हो जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उनमें से दो का बाकी है एक की जरूरत नहीं होगी। २ का जल्दी ही हो जायगा।

श्री चांदमल मेहता—वे दो कौन २ हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नाम तो मुझे मालूम नहीं। यदि मालूम करना चाहेंगे तो मालूम करके बतायेंगे।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन दो व्यक्तियों का बाकी है उनके रिप्रजेन्टेशन्स ३ साल से सरकार के सामने पेन्डिंग हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे तारीख याद नहीं है लेकिन रिप्रजेन्टेशन्स चल रहे हैं। कार्यवाही भी चल रही है। जल्दी ही फिक्सेशन हो जायगा।

श्री चांदमल मेहता—इस में ऑडिट ने क्या कठिनाई पैदा की जिससे फिक्सेशन रुक गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वैसे उनको रखने के लिये मंजूरी भी नहीं मिली थी, लेकिन क्योंकि वे पुरानी सरविस में थे और ऐसे ६ आदमी हैं जिनमें से ३ का हो गया और दो जो बचे थे, उनके लिये एतराज था अब उनका भी जल्दी ही फिक्सेशन हो जायगा।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या एक बार फिक्सेशन होने के बाद अकाउन्टेन्ट जनरल ने एतराज किया है।

श्री **भोगीलाल पंडया**—मुझे मालूम नहीं। आप सूचना दे रहे हैं। जानकारी प्राप्त करके कहूंगा।

श्री **चांदमल मेहता**—मेरा प्रश्न साफ है। यदि फिक्सेशन हो गया था तो, क्या ठीक नहीं था ? क्या एतराज फिक्सेशन के बाद उठाया गया या पहले एतराज हो गया।

श्री **भोगीलाल पंडया**—मैंने उत्तर में बताया कि फिक्सेशन जून ५५, में हो गया जिनका फिक्सेशन बाकी हैं, उनका जवाब भी बता दिया।

श्री **चांदमल मेहता**—मैं जानना चाहता हूं कि दो के बारे में क्या एतराज उठाया गया था ?

श्री **भोगीलाल पंडया**—ऑडिट ने एतराज किया था कि ये ट्रेन्ड कंपाउन्डर्स नहीं हैं इनको नहीं रखना चाहिये। बाद में उनको लिखा गया कि पहले ३ का फिक्सेशन हुआ है इस लिये इन दो का भी होना चाहिये। मेरा ख्याल है कि ऑडिट मान लेगी।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि जिनका नहीं हुआ, वे अनट्रेन्ड हैं। अनट्रेन्ड होने के अलावा और भी कोई कारण है ?

श्री **भोगीलाल पंडया**—कोई एतराज करते हैं, तो उनका जवाब दिया जाता है।

श्री **प्रभुदयाल**—सालोतरी का मतलब क्या है ?

श्री **भोगीलाल पंडया**—अनट्रेन्ड कंपाउडर्स।

प्रश्न संख्या २२७

बाडमेर ज्युडिशियल लॉक अप में ताहरत की उचित व्यवस्था

श्री **जवानसिंह** (श्री तनसिंह की अनुपस्थिति में)—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

Page No 8

[श्री जवानसिंह]

(क) बाड़मेर जुडिशियल लॉक अप में बंदियों की दैनिक क्या औसत संख्या रहती है ?

(ख) क्या यह सही है कि वह स्थान स्टेन्डर्ड से कम है तथा तहारत की व्यवस्था ठीक नहीं है ?

(ग) यदि हां, तो कब तक सरकार इसे परिवर्तित और परिवर्धित करने का विचार रखती है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(क) करीब ३६।

(ख) चूंकि यह लॉक अप पुराने टाइप का बना हुआ स्टेन्डर्ड डिजाइन का नहीं है इस लिये सब ही आवश्यक सुविधाओं का इसमें होना सम्भव नहीं है ।

(ग) नहीं । तहारत में तीन बैठक हैं ।

(घ) जेल के बेरकों में काफी तादाद में लोहे के जालीदार फाटक हैं और तहारत पुरानी इमारत में रद्दोबदल करके लॉक अप की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये जितना मुमकिन हो सका अच्छे बनाये गये हैं ।

(ङ) हां । नई इमारत बनाने के लिये जनवरी, सन् १९५४, में ध्यान आकृष्ट किया गया था । लेकिन चूंकि दूसरे कई ऐसे लॉक अप हैं कि जिनकी बाडमेर से पहले प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है । अतः बाडमेर में नई इमारत बनाने के लिये उनके पश्चात विचार किया जावेगा ।

श्री जवानसिंह—दूसरी जगह बिल्डिंग बनाने के लिये प्राथमिकता क्यों दी जा रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—क्योंकि वहां ज्यादा जरूरी है ।

श्री जवानसिंह—कैदियों में भी अंतर होता है क्या ?

श्री हिम्मतसिंह—सबसे पहले किस जगह बनायेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह अलग प्रश्न पूछ रहे हैं ।

प्रश्न संख्या २२८

चित्तौड़ जिले में वेटरनरी अस्पताल तथा वहां के अधिकारियों के टी. ए. व डी. ए. की भुगतानगी

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चित्तौड गढ़ जिले में वेटरनरी अस्पताल कहां हैं ?

(ख) उक्त जिले में किन २ वेटेरनरी अस्पताल के कर्मचारियों को १५ फरवरी, १६५६ तक कितना कितना टी. ए. व डी. ए. बिल का पेमेन्ट होना बाकी है ?

(ग) उक्त बिल्स के पेमेंट नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या (क) चित्तौडगढ़ जिले में निम्नलिखित स्थानों पर पशु चिकित्सालय, के छोटे पशु चिकित्सालय स्थापित हैं —

(१) चित्तौडगड़···पशु चिकित्सालय।

(२) कपासन···छोटा पशु चिकित्सालय।

(३) निम्बाहेड़ा···पशु चिकित्सालय।

(४) परतापगढ़···पशु चिकित्सालय।

(५) वैगू···छोटा पशु चिकित्सालय।

(६) सादड़ी छोटी···छोटा पशु चिकित्सालय।

(ख) उक्त जिले के वेटेरनरी अस्पताल के कर्मचारियों के टी. ए. व डी. ए. बिल मास सितम्बर, सन् १६५५, तक स्वीकृत कर के सम्बन्धित जिला अधिकारी, पशु चिकित्सालय, को भेज दिये गये हैं। शेष महीनों के टी. ए. व डी. ए. के पिछले बजट की कमी के कारण पेमेंट होना बाकी है।

(ग) मद टी. ए. व डी. ए. में रकम की कमी के कारण।

श्री चांदमल मेहता—यह टी. ए. के लिए कितनी रकम स्वीकृत की गई और कितनी खर्च हो चुकी है, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में ?

श्री भोगी लाल पण्ड्या—जितनी रकम स्वीकृत हुई वह खर्च हो गई ?

श्री अध्यक्ष—कितना अमाउन्ट है ? यह पूछते हैं।

श्री भोगीलाल पण्डया—यह पूछा नहीं गया है।

श्री अध्यक्ष—यह सप्लीमेंटरी में पूछा गया है।

श्री भोगीलाल पंड्या —यह मालूम करके बताऊंगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस सारे वर्ष के जिन आदमियों के टी. ए. डी. ए. हैं उनकी रकम नहीं भेजी गई है ?

श्री भोगीलाल पण्डया—मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि सितम्बर, १९५५ तक का हिसाब करके भेज दिया गया है।

श्री चांदमल मेहता—इस प्रश्न के पूछने के बाद क्या टी. ए., डी. ए. की रकम स्वीकृत करके भेजी गई ?

श्री भोगीलाल पण्डया—यह मालूम नहीं, भेजी गई होगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ६ महीनों से अधिक के टी. ए. डी. ए. थे, जिनकी रकम नहीं भेजी गई ?

श्री भोगीलाल पण्डया—हो सकता है, रुपये नहीं थे. जितने रुपये थे उतने भेज दिये, बाकी रुपये आने पर भेजे गये हों।

श्री चांदमल मेहता—नहीं, जो स्वीकृत करके भेजे गये, रुपये होते हुये भी ६ महीनों तक वे बिल पेंडिंग रहे।

श्री भोगीलाल पण्डया—यह इस प्रश्न में नहीं है, मालूम करके बता सकता हूँ।

श्री चांदमल मेहता—इस प्रश्न में यह पूछा गया है, कितना कितना बाकी है यह स्पष्ट है। क्या मंत्री महोदय जांच करेंगे कि वे बिल पेन्डिंग क्यों रहे और किस की गलती से रहे ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—यह अलग से पूछा है तो जांच की जायगी।

श्री दुर्लभसिंह—सितम्बर में टी. ए. डी. ए. की रकम खर्च हो गई थी तो उस समय सप्लीमेंटरी ग्रान्ट मंजूर करवा कर सरकार पेमेंट कर सकती थी।

श्री भोगीलाल पण्ड्या—उस समय सरकार के ध्यान में यह बात नहीं आई थी इस लिये सप्लीमेंटरी ग्रान्ट में वह अगले वर्ष में रखा।

श्री चांदमल मेहता—पशुओं में बीमारी नहीं थी, क्या इस लिए उस समय अनिच्छा जाहिर की ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है मालूम करके बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २२६

कोलायत (बीकानेर) में पशु मेले लगामे सन्बन्धी शासकीय योजना

श्री प्रभुदयाल—क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सरकार की बीकानेर जिले में पशु मेला लगाने की कोई स्कीम है ?

(ख) यदि हां, तो कब और कहां लगाने का विचार है ?

(ग) क्या सरकार कोलायत के मेले को पशु मेले का रूप देने के बारे में विचार करेगी ?

(घ) यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) हां।

(ख) आगामी द्वितीय वर्ष में कार्यान्वित होगी। स्थान बीकानेर कमिश्नर की सलाह से चुना जावेगा।

(ग) हां, यथा संभव शीघ्र विचार किया जावेगा।

एक माननीय सदस्य—कमिश्नर की क्या सलाह है इसके बारे में, क्या सरकार की तरफ से पता लगाया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न पढ़िये।

श्री प्रभुदयाल—पंचायत अगर लगाना चाहे तो ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कृषि बिभाग द्वारा लगाये जाने के बारे में पूछा गया है। पंचायत लगावे इस पर कोई रोक नहीं।

श्री प्रभुदयाल—यह विचार कब तक हो जायगा ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—आपको उत्तर में बताया कि अगले वर्ष।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूं सिंह।

प्रश्न संख्या २३०

लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत आर. पी. एस. के कुछ अभ्यर्थी डाक्टरी जांच मे असफल होने पर भी सरकार द्वारा सिफारिश

श्री भैरूं सिंह (विभाजन संख्या १६)—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस वर्ष आर. पी. एस. के इम्तहान के लिए कितने उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया ?

(ख) इन सफल उम्मीदवारों में से सरकार ने मेडिकल बोर्ड द्वारा कितने उम्मीदवारों की डाक्टरी जांच करवाई व बोर्ड ने कितने उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया ? उनके नाम व पते क्या हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि सरकार ने ऐसे २४ अयोग्य घोषित उम्मीदवारों की भी राज्य सेवा में लिये जाने के लिए उपयुक्त समझा है, यदि हां, तो क्यों ?

(घ) इन सब उम्मीदवारों में से कितने उम्मीदवारों को राज्य सेवा में नियुक्त कर दिया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमंत्री)—(क) राजस्थान सेवा आयोग आर. पी. एस. इम्तिहान के परिणाम घोषित नहीं करता है। उन्होंने केवल प्रथम ४० उम्मीदवारों की एक सूची घोषित की है।

(ख) ३२ उम्मीदवार डाक्टरी जांच के लिए भेजे गये थे।

(ग) मेडिकल बोर्ड ने ७ उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया, जिनके नाम व पते निम्न प्रकार हैं :

१. श्री मोतीलाल अग्रवाल मार्फत श्री मनोहर लाल एडवोकेट, राजस्थान हाई कोर्ट, सोनगिरी गेट, बीकानेर

[श्री रामकिशोर व्यास]

२. श्री नरेन्द्र मल मेहता, असिस्टेन्ट सेटिलमेंट ओफीसर, जोधपुर।

३. श्री हुकमाराम, मार्फत श्री बुधरामजी मेवाल, गांव व पोस्ट ओफिस बाली डि० पाली

४. श्री बालकृष्ण शर्मा, शिव भवन प्लाट नं० डी. ४०१ बनी पार्क, जयपुर।

५. श्री खेमचन्द तेजवानी, प्रोसिक्यूटिंग सब इन्सपेक्टर, हुरडा, डि० भीलवाड़ा।

६. श्री रामस्वरूप शर्मा, मार्फत दुर्गा इलेक्ट्रिक स्टोर्स, लोहाई रोड, फर्रूखाबाद (यू. पी.

७. श्री गोपालदास गोयल मार्फत दाऊ दयाल वासुदेव सराफ. सर्राफा बाजार, भरतपुर।

(घ) कोई भी उम्मीदवार जो डाक्टरी जांच द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है, उसे राज्य सेवा में नहीं लिया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरूं सिंह—यह ३२ उम्मीदवार हैं, उनमें से ८ डाक्टरी मुआयने में असफल हुए, उनके स्थान की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—इस वक्त २४ सीटें भरी हैं, एक खाली है।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि ३२ का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया तो क्या ३२ स्थान खाली थे ?

श्री रामकिशोर व्यास—सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष—जितने उम्मीदवारों को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया था तो क्या इस लिहाज से भेजा गया था कि उतनी वेकेन्सीज थीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—हां इसी लिहाज से भेजा गया।

श्री भैरूं सिंह—जिन स्थानों की पूर्ति उन ३२ आदमियों से होने वाली थी, वह क्या इन २५ आदमियों से हो गई।

रामकिशोर व्यास—२५ सीटस थीं, वहां २४ भरी हैं।

श्री भैरूसिंह—सीट्स केवल पच्चीस भरनी थीं और मेडीकल एग्जामिनेशन ३२ का कराया गया, यह कैसे ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने निवेदन किया कि शुरू में ३२ भेजे गये थे, बाक अनफिट हो गये। ८ जो हैं मेडिकली अनफिट हैं। एक आइ. पी. एस. में चला गया।

श्री भैरूसिंह—जिन ३२ को मेडीकल एग्जामिनेशन के लिये भेजा गया था। तो क्या उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिये भेजते समय सरकारने निर्णय किया था कि अगर ये फिट घोषित किये जाते हैं तो, उन्हें एब्जोर्ब करना है ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने अर्ज किया कि—

श्री अध्यक्ष—(रामकिशोर व्यास से This is not the intent of your question. How many !

श्री रामकिशोर व्यास—Twenty five

श्री भैरूसिंह—३२ का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ—

श्री अध्यक्ष—यह कोई इन्टेन्शन नहीं था, कम्पिटीटिव एग्जामिनेशन में जितने आ गये, उनको लिया गया।

श्री भैरूसिंह—यह वेकेन्सीज कितनी थी ?

श्री रामकिशोर व्यास—२५।

श्री भैरूसिंह—वेकेन्सीज २५ ही थीं तो ३२ को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिये क्यों भेजा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—३२ को भेजा गया था, कुछ को दुबारा भेजा गया था।

श्री कंवरलाल जेलिया—इनमें से अनुसूचित जाति में से कितनों को लिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—१ आदमी को लिया गया था पर वह अनफिट हो गया ?

श्री कंवरलाल जेलिया—वह किन कारणों से अनफिट घोषित किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—मेडीकली अनफिट होने के कारण ।

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या २३१

जनवरी. १६५५ के पश्चात ए. आर. टी. ओज को प्रमोशन से आर. टी. ओ. बनाने के आधार

श्री चांदमल मेहता—क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(क) १ जनवरी १६५५ के बाद किन किन ए. आर. टी. ओ. को प्रोमोशन दिया जाकर आर. टी. ओ. बनाया गया है ?

(ख) उक्त व्यक्तियों के नाम, योग्यता व लेन्थ आफ सर्विस कितनी कितनी है सिनियोरिटी लिस्ट में उनका कौन कौन सा स्थान है?

श्री भोगीलाल पण्डया—(क) इस समय में किसी को भी प्रमोशन दिया जाकर आर. टी. ओ. नही बनाया गया ।

(ख)प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चांदमल मेहता—क्या आपने किसी को कार्यवाहक बनाया है ?

श्री भोगीलाल पण्डया—जी हां। एक तो कोई शंकरलाल हैं ?

श्री चांदमल मेहता—किन किन को बनाये हैं ।

श्री भोगीलाल पण्डया—शंकरलाल को ।

श्री चांदमल मेहता—औरभी कोई नाम है जिनको कार्यवाहक बनाया गया है।

श्री भोगीलाल पंड्या—राधेकांत ।

श्री चांदमल मेहता—सिनियोरिटी की दृष्टि से उनका कौन कौन सा स्थान है जिनको आपने ओफिसियेटिंग बनाये हैं ।

श्री भोगीलाल पंड्या—वे वहीं पर अपनी ड्यूटी दे रहे थे और एक व्यक्ति ८० दिन की छुट्टी गया उसकी जगह उनको लगा दिया गया और जब छुट्टी से आवेंगे वह अपना काम करने लगेगा ।

Page No 16

श्री चांदमल मेहता—आपने दूसरा नाम भी बताया है।

श्री भोगीलाल पंड्या—हां, शंकरलाल।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह भी इसी तरह ओफिसियेटिंग काम कर रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—एक जगह खाली थी उस को उस स्थान पर ओफिसियेटिंग लगाया गया है।

श्री चांदमल मेहता—उन को किस आधार पर बनाया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह भी वहीं काम करते थे और कोटा और उदयपुर का एक ही रीजन होने से उनको वहां पर लगा दिया गया ?

श्री चांदमल मेहता—क्या सारे ए. आर. टी. ओ से ये सीनियर हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो अस्थाई व्यवस्था की गई और वहीं पर थे इसलिए इन्हें लगा दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—यह अस्थाई व्यवस्था कितने समय के लिये की गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब तक दूसरे का एपोइन्टमेंट नहीं हो तब तक के लिये यह अस्थाई व्यवस्था की गई है।

श्री चांदमल मेहता—इन लोगों से ज्यादा सिनियर लोगों को मौका नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने आपको बताया कि वे पास ही थे इसलिये।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सिनियोरिटी लिस्ट में जिनका नम्बर बहुत ऊंचा है, उनको आर. टी. ओ का चान्स नहीं दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस के लिये मैं जानकारी करके बताऊंगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या इसके लिए कोई नियम है कि प्रोमोशन किस आधार पर दिये जावें ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सिनियोरिटी और काम दोनों देखे जाते हैं।

Page No 17

श्री चांदमल मेहता—जिन दोनों व्यक्तियों को प्रोमोशन दिया गया उनके संबन्ध में सारी बाते देखी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर नहीं में दिया है और ऑफिसियेटिंग के लिये आपने पूछा उसके लिये यह कहा है कि जब आदमी जिसकी एवज में काम किया जारहा है आयगा उस समय वे अपने स्थान पर काम करेंगे।

श्री चांदमल मेहता—उनको ए. आर.टी.ओ. की तनख्वाह मिली है या आर. टी. ओ. की ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह प्रश्न नहीं है। ओफिसियेटिंग जो व्यक्ति छुट्टी गया है उसकी एवज में करता है और जब वह आजाता है तो वापिस चला जाता है।

श्री चांदमल मेहता—आपने जो उदयपुर में बताया उसके लिये कोई क्या छुट्टी में जाने से ओफिसियेटिंग का चान्स उसको दिया गया।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने पहले ही बताया कि जगह खाली थी।

श्री चांदमल मेहता—आपने पहले कहा कि छुट्टी में गया उसकी जगह ओफिसियेटिंग लगाया गया।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने यह नहीं कहा। आपने एक नाम बताया। मैंने कहा कि ८० दिन की छुट्टी पर गया है उसकी एवज में काम कर रहा है। यह मैंने कभी नहीं कहा कि ओफिसियेटिंग करने के लिये छुट्टी पर गया है, उसकी जगह उसको भेजा गया है।

श्री चांदमल मेहता—आप प्रोसीडिंग्ज देख लीजिये।

श्री वेदपाल त्यागी—ओफिसियेटिंग एपोइन्टमेंट कब हुआ।

श्री भोगीलाल पंड्या— १. ३. ५३ को हुआ ?

प्रश्न संख्या २३२

श्री अध्यक्ष—श्री तेजमल बापना।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या २३३.

चीफ कन्जरवेटर ऑफ फोरेस्ट द्वारा वर्तमान वर्ष में किये गये दौरे एवं उनसे प्राप्त टी. ए. व डी.ए. राशि

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) चीफ कन्जरवेटर आफ फोरेस्ट चालू वर्ष में कितने दिन हैडक्वाटर से बाहर रहे ?

(२) जयपुर में कितने दिन रहे और निरिक्षण करने के लिये कितने दिन बाहर रहे ?

(३) चालू वर्ष का उनका टी.ए. व डी. ए का कितने रुपये का बिल होता है ?

श्री ब्रजसुन्दर— (१) चीफ कन्जरवेटर फोरेस्ट जनवरी, १६५६ के अन्त तक हैडक्वाटर से २५८ दिन बाहर रहे।

(२) जयपुर में १२१ दिन और निरिक्षणार्थ ८८ दिन बाहर रहे।

(३) दिसम्बर, १६५५ तक चीफ कन्जरवेटर फोरेस्ट का २२३३रु० १३ आना का टी. ए. व २४८३ रु० २ आना का डी. ए. बिल बना।

श्री चांदमल मेहता—जयपुर में उनका इतने अधिक समयतक रहने का क्या कारण था?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—फायव इयर प्लान की तैयारी में काम के लिये।

श्री चांदमल मेहता—क्या एक साथ ही यहां पर रहे या कई मरतबा करके आये और यहां रहे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—कई मरतबा करके रहे।

श्री चांदमल मेहता—कई मरतबा क्यों आना पड़ा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आना पडा सेकिन्ड फायव इयर प्लान की तैयारी के लिये।

श्री चांदमल मेहता—सेकिन्ड फाइव इयर प्लान की तैयारी किस जगह चल रही थी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—प्लानिंग डिपार्टमेंट में। एक दिन में कोई प्लानिंग का काम थोड़ा ही हो जाता है ?

Page No 19

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि आम तौर से उन्होंने अपना हैड क्वाटर जयपुर ही बना लिया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आम तौर से जयपुर में ज्यादा रहना पड़ता है इसलिये आम यह कह सकते हैं कि आम तौर से हैड क्वार्टर बना लिया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरकार ने उनका हैड क्वार्टर तब्दील कर दिया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—हां ऐसा मामला हो चुका है।

श्री चांदमल मेहता—ऐसा मामला हो चुका, यह समझने की बात नहीं है, आप साफ बतावें कि ऑर्डर दे दिये गये हैं या नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—ऑर्डर दे दिये गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—इसका क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दरशर्मा—उनको ज्यादा समय जयपुर में रहना पड़ता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस तरह के और भी ऑफिसर्स हैं, जिनको काफी समय तक जयपुर रहना पड़ता है उनके लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की जावेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह बद किस्मती है कि यह विभाग मेरे पास है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री सुगनचन्द जैन।

प्रश्न संख्या २३४

चित्तौड़ जिले व बेगूं सब डिविजन में पांच वर्षों में बनाये गये तालाब

श्री सुगनचन्द जैन—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) चित्तौड़गढ़ जिले में पांच साल के अन्दर अन्दर कितने तालाब कहां कहां पर बनाये गये तथा उनमें कितनी कितनी रकम खर्च हुई ?

[श्री सुगनचन्द जैन]

(ख) वेगूं सब डिविजन में कितने तालाब बनाये गये तथा कितनों की सर्वे हो चुकी है और अब कितने तालाब ऐसे हैं जिनकी सर्वे करना बाकी है ?

(ग) यदि एक भी तालाब नहीं बंधाया गया है तो अब तक नहीं बंधाने का क्या कारण है ?

(घ) इस सब डिविजनों के तालाबों को बंधाने के बारे में कितनी दरख्वास्तें सरकार के पास आई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री भोगीलाल पंडया—(क) इसकी फेहरिस्त मय लागत साथ में नत्थी है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(ख) नंदबाई तालाब की मरम्मत की गई और काटून्दा तालाब का काम जारी है तदुपरान्त ब्राह्मणी नदी पर दो तालाब कालादेह भैरूजी झबर तथा हेमरी की सर्वे हो चुकी है। जल सागर धामन्या वगैरा की सर्वे बाकी है।

(ग) उपरोक्त दो तालाब यानी नंदबाई और काटून्दा पर काम कराया गया।

(घ) इसके मुताल्लिका जो दरख्वास्तें आई उसमें से उपरोक्त सर्वे हो चुकी है और जिनके तखमीने करीबन ५०,०००) के सरकार के विचाराधीन है। कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न संख्या २३५

श्री अध्यक्ष—श्री सोहनलाल।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री भैरूसिंह।

प्रश्न संख्या २३६

ग्राम कुंवरपुरा बघाल (त० फुलेरा) में सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत फसल रवी हेतु बीज का वितरण

श्री भैरूसिंह—क्या सामुदायिक योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री भैरोंसिंह]

(क) क्या सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत मौजा कुंवरपुरा वग्राल, तहसील फुलेरा, में फसल रबी माल हाल के लिए गेहूँ का बीज तकसीम किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना बीज मिला है ?

(ग) जिन व्यक्तियों को बीज दिया गया, उनके हिस्से में कितनी-कितनी भूमि काश्त होती है ?

(घ) क्या यह सही है कि इस बीज में से काफी बीज बाजार में लाकर बेचा गया ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री संपतराम (उप मंत्री)—(क) हां। इस साल गांव कंवरपुरा में रबी की फसल में गेहूँ का बीज बांटा गया था।

(ख+ग) जिन व्यक्तियों को बीज बांटा गया तथा उनके पास कितनी कितनी भूमि काश्त की है, उसकी सूची मेज पर रख दी गई है।

(घ) नहीं। सरकार के ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि बीज वितरण करने से पूर्व इस बात की जांच नहीं करवाई कि किस के पास कितनी जमीन है और कितने बीज की आवश्यकता है ?

श्री सम्पतराम—आपने जो प्रश्न पूछा है उसके उत्तर से स्पष्ट जाहिर होता है कि पहले जांच कराई गई थी। आपका प्रश्न इस बात का द्योतक है।

श्री भैरूंसिंह—यह इस बात का द्योतक है या नहीं लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि बीज वितरण करने से पहले किसी अधिकारी द्वारा जांच कराई गई या नहीं कि किसके पास कितनी जमीन है।

श्री संपतराम—जिसके पास जमीन नहीं होती उसको बीज देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरूंसिंह—क्या किसी ने इस बात की जानकारी की कि बीज वितरण किये जा रहे हैं उनमें किन किन को कितने बीज की आवश्यकता है और किस किस के पास कितनी जमीन है ?

श्री संपत राम—मैंने बताया कि बीज उसी को दिया जाता है जिसके पास जमीन होती हैं।

श्री भैरू सिंह—क्या यह सही है कि बीज वितरण करने से पूर्व किसी भी अधिकारी ने इस बात की जांच की कि किसके पास कितनी जमीन है और उनको कितने बीज की आवश्यकता है ?

श्री संपत राम—यह सही नहीं हैं।

श्री भैरू सिंह—मैं यह पूछना चाहता हूँ कि किसी अधिकारी ने जांच की या नहीं ?

श्री संपत राम—एग्रीकलचर विभाग के अधिकारी इस बात की जांच करते हैं और तत्पश्चात ही बीज दिया जाता हैं।

श्री भैरू सिंह—किसी अधिकारी ने इस विषय में जांच की या नही। इसकी जानकारी सरकार को है या नहीं।

श्री संपत राम—यह ऐसा प्रश्न है, जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष—The hon'ble member should address the chair.

श्री भैरू सिंह—क्या यह सही है कि ब्लोक डेवलपमेंट आफिसर को लोगो ने यह शिकायत की थी कि बीज का धान है वह बाजार में बिक रहा है ?

श्री संपत राम—यह अलग सवाल है। इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं हैं।

श्री भैरू सिंह—क्या यह नियम है कि जो बीज जिस फसल के लिये दिया जाता है वह उसी फसल के लिए काम में आना चाहिये ?

श्री संपत राम—इस बात का स्पष्ट आदेश है कि जिस फसल के लिए जो बीज दिया जाता है वह उसी फसल में काम आना चाहिये। जैसे बाजरे का बीज बाजरे की फसल में और गेहूँ का बीज गेहूं की फसल में।

श्री भैरू सिंह—क्या यह सही है कि इन लोगों को ऐसे वक्त पर बीज दिया गया जब कि फसलें बो चुके थे ?

श्री अध्यक्ष—फसल बोने के बाद क्या बीज दिये गये ?

श्री संपत राम—ऐसी जानकारी मुझे नहीं हैं अगर आप स्पेसिफिक बात ध्यान में लाये तो जानकारी कर बता सकता हूं।

श्री भैरूं सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे पास भी सूची नहीं आई।

श्री अध्यक्ष—सदन की मेज पर भी नहीं आई।

श्री भैरूं सिंह—मंत्रीजी ने कह तो जरुर दिया है कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

प्रश्न संख्या २३७

श्री अध्यक्ष—श्री सोहनलाल भटनागर।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या २३८

श्री सज्जनसिंह

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २३६

वन विभाग के कर्मचारियों के फिक्सेशन के आधार

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) फोरेस्ट विभाग के कर्मचारियों का फिक्सेशन करने के लिए कब कब क्या क्या क्राइटेरिया निश्चित किया गया ?

(२) क्या सरकार उक्त क्राइटेरिया में फिर परिवर्तन करना चाहती है ?

(३) यदि हां तो क्यों ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(१) फिक्सेशन के लिये फोरेस्ट विभाग के कर्मचारियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :—

मिनिस्ट्रियल स्टाफ—जिन नियमों के आधार पर राजस्थान के समस्त मिनिस्टिरियल स्टाफ का फिक्सेशन हुआ है, उन्हीं नियमों के आधार पर वन विभाग से सम्बन्धित कर्मचारियों का फिक्सेशन किया गया था। यह फिक्सेशन नियम राजस्थान राजपत्र क्रमांक एफ० ३।५। इंटी (अ) ५६ दिनांक ३०-११-५० को मुद्रित हो चुके हैं। इसके मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं—

मिनिस्टरियल स्टाफ के नियम और कार्य को दृष्टिकोण में रखते हुए बनाये गये हैं और इन नियमों के आधार पर फिक्सेशन किया गया है, उदाहरणार्थ; सुपरिन्टेन्डेन्ट का फिक्सेशन उनकी कार्यकुशलता व सीनियरिटी को दृष्टिकोण में रख कर किया गया है।

अपर डिविजन क्लर्क—जो व्यक्ति दिनांक १-१-५० को ६० रुपये मासिक वेतन पा रहे हों और ७ वर्ष की जिनकी सेवायें हो गई हों वो अपर डिवीजन पद के हकदार समझे गये।

लोअर डिवीजन क्लर्क—लोअर डिवीजन के पद के लिए कोई खास नियम नहीं बनाये गये। इसके लिये मैट्रिक या नान मेट्रिक कोई भी व्यक्ति मुख्य वन संरक्षक की सिफारिश के आधार पर इस पद पर फिक्स किया जा सकता था।

सबोरडिनेट स्टाफ—के लिये भी नियम बनाये गये थे। वे भी राजस्थान राज पत्र में एफ ३ इन्टी अ ५१ दिनांक १३-१२-५४ को प्रकाशित हो चुके हैं। इसके मुख्य मुख्य सिद्धांत निम्न प्रकार हैं—

(बी) **देहरादून रेन्जर**—देहरादून रेन्जर्स जिस तारीख से परीक्षा पास की हो यदि एक ही वर्ष में कई परीक्षा पास हुए हों तो उनकी परस्पर वरिष्ठता योग्यता के आधार पर तय की जावेगी ?

(ए) **ट्रेन्ड फोरेस्टर**—सेवा काल के योग में से १० वर्ष घटा कर। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अतिरिक्त।

अनट्रेन्ड व्यक्ति—ग: सेवा काल के योग में से १५ वर्ष घटा कर। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अतिरिक्त।

डिप्टी रेन्जर्स

(क) देहरादून डिप्टी रेन्जर्स—लोअर स्टेंडर्स सर्टिफिकेट जिनके पास हों। सेवा काल में कोई कटौती नहीं।

Page No 25

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

(ख) ट्रेन्ड फोरेस्टर्स—सेवा काल में से ५ वर्ष घटा कर।

(ग) अनट्रेंड व्यक्ति सेवा काल में से दस वर्ष घटा कर।

२. केवल सबोरडिनेट स्टाफ के नियमों में परिवर्तन करने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

३. यह मामला अभी जांच में है।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि क्या क्राइटेरिया में परिवर्तन कर दिया है ? तो उसका जवाब मिला विचाराधीन है। फिर मैंने पूछा यदि हां तो क्यों इसका जवाब भी यह दिया गया कि विचाराधीन है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह मामला जांच तलब है जांच हो रही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इनका दो बार तो क्राइटेरिया निश्चित किया जा चुका है और अब तीसरी बार और किया जाने वाला है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं, जो क्राइटेरिया निश्चित किया गया था उसमें एक बात की कमी रह गई थी जैसे देहरादून रेन्जर्स की, कि जिस तारीख को परीक्षा पास की हो उसी तारीख से उनकी सरविस काउन्ट की जाय यह भी एक नियम था। इस सिलसिले में मैं अर्ज करूं कि कई व्यक्ति ऐसे रह गये हैं कि जो पहले से सरकारी सरविस में थे और बाद में देहरादून जाकर परीक्षा पास करके आये तो यदि इनको उसी तारीख से सरविस में गिनते हैं तो उनकी सीनियोरिटी पर असर पड़ता है। इनसे पहले किसी ने पास किया हो तो वह सरविस में सीनियर पड़ेगा, इस नियम से इस प्रकार अनामोली क्रिएट हो गई, इसलिये इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री चांदमल मेहता—पहली बार जब क्राइटेरिया लागू किया गया तो ये सब बातें उस समय ध्यान में नहीं आई थीं क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, हर आदमी यही सोचता है कि जो कुछ भी वह कार्य करेगा, उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं रहेगी लेकिन फिर गलती रह जाती है। मैं यह समझता हूँ कि इसके लिए जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया था उसमें इस प्रकार की बोनाफाइडी कमी रह गई थी इससे उन लोगों की सीनियोरिटी पर काफी असर पड़ने वाला है तो जो बहुत अरसे से सरकारी सरविस में थे और बाद में देहरादून रेन्जर्स कोर्स पास किया उन लोगों के साथ न्याय हो इसलिये, इस क्राइटेरिया में तब्दीली की गई। कभी भी यह नहीं कहा जा सकता कि एक दफा फिक्सेशन हो गया वह बिल्कुल दुरुस्त है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इन्हीं गलतियों को दुरुस्त करने का बहाना लेकर फिक्सेशन के मामले को आगे से आगे ले जाना चाहते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आगे से आगे लेजाने का प्रश्न नहीं है। अभी कुछ रोज पहले आपने एक सवाल किया, "आफिशियेटिंग एस. डी. ओ. को फिक्स करने का क्या क्राइटेरिया था ?" उस पर मैंने आपको यह उत्तर दिया था कि इस सम्बन्ध में ऐसी अनोमोलिकल पोजीशन है कि एक जयपुर के सज्जन हैं जो सन् ३५ में सरविस में आए लेकिन उन्होंने देहरादून का कोर्स ४६ में पास किया। तो अगर उस क्राइटेरिया के मुताबिक उनकी ४६ से सरविस मानी जाय तो उनकी सीनियोरिटी पर काफी असर पड़ता है। ऐसी अनोमोलीज़ हैं, जिनके लिये क्राइटेरिया में परिवर्तन करना आवश्यक समझा गया।

श्री चांदमल मेहता—अंतिम निर्णय इसके बारे में कब तक दे देंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इन्ट्रीग्रेशन डिपार्टमेंट से इस बारे में बातचीत हो चुकी है, दो फारमूले भी तैयार किये जा चुके हैं अभी उस पर केबिनेट की स्वीकृति प्राप्त करना बाकी है।

प्रश्न संख्या २४०

जिला चित्तौड़गढ़ में तहसीलवार सहकारी समितियों की स्थापना एवं उन्हें ऋण देना

श्री जगतसिंह झाला—क्या सहकारी मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

ज़िला चित्तौड गढ में तहसीलवार अब तक कुल कितनी सहकारी समितियां कहां कहां पर स्थापित हो चुकी हैं तथा इन्हें गत तीन वर्षों में कितना कितना कर्ज दिया जा चुका है ?

श्री अमृतलाल यादव—जिला चित्तौडगढ़ में कुल ६२ समितियां बनाई गई हैं जिनकी तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। १६५४-५५, १६५५-५६ में जो ऋण दिया गया वह उनके नामों के सामने अंकित कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री जगतसिंह झाला—अध्यक्ष महोदय, मुझे वह सूची नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष—हमारे पास भी नहीं आई है।

आप सूची अब ले लें और उस पर कल प्रश्न कर लें।

श्री वेदपाल त्यागी—यह तो परम्परा ठीक नहीं है। सूची देते नहीं है, फिर भी कह दिया जाता है कि सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री भैरूंसिंह—यह ब्रीच ऑफ प्रीविलेज है।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, जब आपके द्वारा यह कह दिया जाता है, उसके बाद तो सूची दे देनी चाहिये, फिर भी नहीं दी जाती।

श्री अमृतलाल यादव—यह सूची मेज तो दी गई थी, कैसे नहीं पहुंची यह मैं देखूंगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री जगतसिंह झाला से) इनसे सूची लेलें और कल आप इस पर प्रश्न कर लें।

श्री भैरूंसिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपने प्रश्न की सूची नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष—आपने तो बिना सूची के ही सप्लीमेंटरी कार्फी कर दिये।

श्री भैरूंसिंह—अध्यक्ष महोदय, यह तो सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—जब आयगा, देखा जायगा।

(विराम)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त।

राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक १६५६ (पुनः स्थापन)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट, १६५४ में और संशोधन करने हेतु विधेयक पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

क्या सदन की अनुमति है, कि राजस्थान डिस्ट्रिक्टबोर्ड्स एक्ट, १६५४ में और संशोधन करने हेतु विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, १६५६ (पुरः स्थापन)

श्री अमृतलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं कि राजस्थान सेल्स टेक्स (संशोधन) विधेयक १६५६ को पुरः स्थापित करने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान सेल्स टेक्स संशोधन विधेयक, १९५६ को पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री अमृतलाल यादव—मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५६

(प्रवर समिति के सुपुर्द)

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५६ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसके सदस्य इस प्रकार होंगे—

श्री गोपीलाल यादव

श्री जवानसिंह

श्री वेदपाल त्यागी

श्री गौरीशंकर आचार्य

श्री लाल बहादुर

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री

श्री सोहनलाल

डा० मंगलसिंह

श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा

श्री मोहब्बतसिंह

श्री चांदमल मेहता

श्री लालसिंह शक्तावत

श्री भैरूसिंह

मेम्बर इन्चार्ज।

यह समिति अपना प्रतिवेदन आगामी अधिवेशन के शुरू होने तक उपस्थित कर देगी।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। क्या सदन की यह अनुमति है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया

राजस्थान वित्त (कृषि आय कर) विधेयक, १९५६
विचारार्थ एवं पारित

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान वित्त (कृषि आयकर) विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। (विराम) प्रश्न यह है कि यह विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

(अल्प विराम के अनन्तर)

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि यह बिल पास किया जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। (विराम) प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त (कृषि आयकर) विधेयक, १९५६ को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया

राजस्थान कृषि आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५६
विचार विमर्श एवं पारित

श्री अमृतलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान एग्रीकल्चर इन्कम टेक्स (संशोधन) विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कम टेक्स (संशोधन) विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाता है।

(अल्प विराम के अनन्तर)

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उक्त विधेयक को पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकल्चर इन्कम टेक्स संशोधन विधेयक, १६५६ को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया

राजस्थान विधान सभा (अधिकारी एवं सदस्य पारिश्रमिक) द्वितीय संशोधन विधेयक, १६५६ विचार विमर्श एवं पारित

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली (आफीसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेंट्स) द्वितीय संशोधन विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। (विराम) प्रश्न यह है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफीसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेन्ट्स) द्वितीय संशोधन विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाता है।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, अभी यह बिल जो प्रस्तुत हुआ है उसको देखने से मुझे यह ख्याल होता है कि हमारे डिप्टी स्पीकर महोदय का जो स्टेटस रक्खा गया है वह एक डिप्टी मिनिस्टर के बराबर का है।

श्री अध्यक्ष—Why this particular Bill is opposed ?

श्री जवानसिंह—मैं इसे अपोज़ नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ इस बात की ओर ध्यान, आपकी मार्फत सदन का दिला देना चाहता हूं और सम्बन्धित मिनिस्टर महोदय का भी दिला देना चाहता हूँ कि डिप्टी स्पीकर का स्टेटस कम रक्खा गया है। हमारे इस सदन के अध्यक्ष को चीफ मिनस्टर के बराबर रक्खा है तो डिप्टी स्पीकर को भी हमें कम से कम एक मिनिस्टर के बराबर तो मानना ही चाहिये। असिस्टेन्ट स्पीकर का हमारे यहां कोई पद नहीं है। अगर वह होता और उसको डिप्टी मिनिस्टर के बराबर रक्खा जाता तो ठीक हो सकता था, पर हमारे यहां तो डिप्टी स्पीकर ही हैं तो उनको एक मिनिस्टर के बराबर का स्टेटस देना चाहिये। और वे ही सुविधायें उनको भी दी जानी चाहिये जो एक मिनिस्टर को दी जाती हैं। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—क्या इसे आप सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करवाना चाहते हैं ?

श्री वेदपाल त्यागी—देर नहीं लगनी चाहिये, जल्दी पास करवाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—Or you want some assurance from the Deputy Speaker for a party.

कुछ कहेंगे आप ? (बद्रीप्रसाद गुप्ता को खड़ा होते देखकर)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अन्य प्रान्तों में डिप्टी स्पीकर का पद डिप्टी मिनिस्टर के बराबर का रक्खा गया है।

श्री अध्यक्ष—This is all by the way.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपने फरमाया इसलिये निवेदन कर रहा हूँ। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उक्त विधेयक को पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफीसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेन्ट्स) द्वितीय संशोधन विधेयक, १६५६ को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया।

राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, १९५६
(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री रामकिशोर व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाता है।

श्री रामकिशोर व्यास—मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोनध) विधेयक, १९५६ को पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि उक्त विधेयक को पारित किया जावे

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया।

राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) संशोधन विधेयक, १९५६
(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान स्टाम्पलों (अनुकूलन) संशोधन विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प ला (अनुकूलन) संशोधन विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जावे ।

(स्वीकृत)

उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाता है ।

श्री अमृतलाल यादव—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उक्त विधेयक को पारित किया जावे ।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प लॉ अडेप्टेशन अमेन्डमेन्ट बिल, १६५६ को पारित किया जावे ।

(स्वीकृत)

उक्त विधेयक को पारित किया गया ।

राजस्थान लोक समाज बहिष्कार निवारण विधेयक, १६५६ (प्रवर समिति को)

श्री रामकिशोर व्यास—मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लोक समाज बहिष्कार निवारण विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

उक्त विधेयक विचारार्थ लिया जाता है ।

श्री भैंरूसिंह—(वि० सं० १६) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के संबंध में यह प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को विचारार्थ प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो कि अपना प्रतिवेदन अगले मास की २१ तारीख तक इस सदन में प्रस्तुत करे ।

[श्री भैरूसिंह]

माननीय अध्यक्ष, इस बिल के लिए प्रस्ताव् की मुझे आवश्यकता इस कारण से हुई कि यह प्रस्ताव उस कानून के संबंध में है, जिस कानून के द्वारा हम समाज में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था, जो चली आ रही थी, उसमें दखल कर रहे है । शायद उस दखल से जो हम सुधार करना चाहते हैं वह सुधार न होकर वल्कि उस सुधार के स्थान पर लोग अव्यवस्था में पड़ जावें, और अव्यवस्था के कारण जो कि आज तक का सामाजिक ढांचा है, वह ढांचा बिगड़ जावे। इस बिल के द्वारा यह व्यवस्था की गई है, कि आज तक राजस्थान में ही नहीं बल्कि समूचे देश में लोगों की जो सामाजिक बहिष्कार करने की प्रथा चली आ रही थी वहे प्रथा कानूनी रूप से रोक दी जाय। यदि हम कोई कानून बनावें तो उस कानून से पूर्व हमें यह सोचना पड़ेगा कि जो भी हम कानून बना रहे हैं उस कानून से हमारे सामाजिक स्तर पर कितना असर पड़ने वाला है । मैं समझता हूं कि आज हमारे अनुभव में आया है कि जहां लोगों ने कानून तोड़ने की बातें की हैं उन लोगों को हम कानून के द्वारा, कानून के अन्दर कार्यवाही करते रहने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन अनुभव यही होता हैं कि हमने कानून कोई बनाया, हमने समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून बनावें और ऐसे कई कानून हमने बनाये जिन कानूनों के द्वारा समाज में किसी विशेष प्रकार का सुधार लाना चाहते थे, लेकिन इस सदन में ही नहीं बल्कि सदन के बाहर, और, और प्रान्तों की विधान सभाओं में इस बात का उल्लेख आया है कि हम जितने भी कानून समाज सुधार के लिए बनाते हैं उन कानूनों का उल्लंघन होता है, उल्लंघन हुआ । इसमें दो प्रकार की चर्चाएं सामने आती हैं । एक चर्चा यह होती है कि समाज में जितनी भी,इस प्रकार की कुरीतियों में, व्यक्ति फंसे हुए हैं, वे स्वयं किसी न किसी प्रकार की चेष्टा करके इन कुरीतियों को आगे बढ़ाने के लिए कानूनों का उल्लंघन करते हैं। सुधार के लिए जितने भी कानून बने हुए हैं, उन कानूनों का उल्लंघन करते हैं। सरकार की मशीनरी करप्ट होने के कारण उन कानूनों की समय पर, किसी भी प्रकार की पाबन्दी नहीं होती है। राजस्थान सरकार ने नुक्ता प्रथा को रोका था, बाल विवाह की प्रथा को रोका था तथा और भी कई प्रकार की समाज की कुरीतियों को रोकने के लिए कानून बनाये, लेकिन आज मैं यह विश्वास के साथ कहता हूं कि हम इस बात का दावा नहीं कर सकते हैं; सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए जितने भी कानून बनाये थे, उन कानूनों के जरिये समाज के अन्दर कोई विशेष प्रकार का सुधार हो रहा है, बल्कि मान्यता दूसरी तरफ है।मान्यता इस बात की है कि सरकार कानूनों के द्वारा सामाजिक बुराइयों को दूर नहीं कर सकी है। इसका एक कारण था; राजस्थान सरकार ने नुक्ता प्रथा को बुरा मानते हुए कानून बनाया था लेकिन वह उस कानून का पालन नहीं करा सकी और उस सूरत में उसने वह कानून वापिस लेलिया। मैं मानता हूं कि समाज में बुराइयां कानून के साथ भी होती हैं, लेकिन कानून कोजहां भुला दिया जाता है, कानून की जिस जगह उल्लंघन होती है, कानून का जहां उल्लंघन एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि पूरे के पूरे समाज के द्वारा होता है, और समाज को एसा करने का प्रोत्साहन जहां सरकारी मशीनरी की ओर से मिलता है तो हमें इसके लिए दूसरा और तरीका ढूंढना पड़ेगा, और वह तरीका यही होता है कि हम उस

Page No 35

[श्री भैंरूसिंह]

व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करें। सामाजिक बहिष्कार किसी भी सूरत में बुरी चीज है। यह इस कानून के लोक समाज की बहिष्कार में देकर, विश्लेषण करके बताया गया है कि लोक समाज में जाति और उप जाति सम्मिलित हैं। यदि किसी व्यक्ति का जाती व्यवहार होता है। जाति बहिष्कार इसलिए होता है कि जो व्यक्ति अनैतिक काम करता है, उस अनैतिक काम को रोकने के लिए जहां कानून विल्कुल खामोश है, कानून हैं, लेकिन उस कानून की जहां तामील नहीं होती है, जहां कि कोई हथियार नहीं रहता हैं समाज के पास, वहां समाजिक बहिष्कार होता है। बाहर गांवों में जाकर देखियेगा कि चोरी करने वाले को, जुआ खेलने वाले को, व्यभिचार करने वाले को दंडित करने के लिए और लोगों में नैतिकता लाने के लिए समाज के पास यदि कोई हथियार है तो वह यही है कि सारे गांव को इकट्ठा करके सामाजिक रुप में किसी ढंग से उसका बहिष्कार हो सकता हैं। समाज की ओर से किस प्रकार से सजा दी जा सकती है, उसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इस बात का अनुभव भी है कि इस प्रकार की व्यवस्था से जो व्यक्ति अनैतिक वातावरण की ओर जा रहा है, उसमें नैतिकता का भाव पैदा होता हैं और नैतिकता के भावों के कारण, सामाजिक बुराइयां दूर होती हैं। इस कानून के द्वारा यह भय भी दूर हो जायेगा। यदि किसी व्यकित का चोरी करने के कारण चालान हुआ और चालान में उसको कोर्ट से सजा नहीं मिलेतो वह इस ढंग से आयगा। गांव के सब लोग जानते है कि अमुक व्यकित ने चोरी की, अमुक व्यक्ति ने जुआ खेला, अमुक व्यक्ति ने नुक्ता प्रथा को रोकने के लिए जो कानून बना हुआ था उसका उल्लंघन किया, अमुक व्यिक्त ने बाल विवाह के कानून का उल्लंघन किया और शायद सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए जितने कानून थे, उनका उलंघन किया उसकी, समाज को पूरी जानकारी है। वह जानकारी समाज के पास ही नहीं बल्कि सरकार के अधिकारियों के पास जाती है और वे उसका चालान करते है तो मामला कोर्ट में जाता है और जिसने यह जुर्म किया है उस जुर्म करने वाले को कानून के द्वारा किसी अदालत में कोई सजा नहीं मिलती है और वह व्यक्ति जाता है छुटकर के और गांव में जाकर कहता है कि तुमने मेरे खिलाफ गवाही दी तो क्या हुआ ? उस तरह की कार्यवाही की तो क्या हुआ ? जो कुछ तुम्हें करना था कर लिया. लेकिन मैं तो पैसा लगाकर, कोर्ट से अच्छे वकील को अपना रिप्रेजेन्टेटिव बनाकर छूटकार और कानून से कोई सजा न झेल कर वापिस गांव में आगया हूँ और जिस प्रकार कीं। बुराइयां पहले की थीं, उनसे भी ज्यादा बुराइयां आगे करुंगा, तो उस समय समाज के पास कोई हथियार नहीं रहता है सिवाय इसके कि उस व्यति का वे सामाजिक बहिष्कार करें। यदि वे सामाजिक बहिष्कार नहीं करते हैं तो एक्सपेरीमेंट के तौर पर गांवो में जाकर देखा जाय कि उससे नुकसान ही नहीं होता है, बल्कि अनैतिकता का वातावरण बढ़ता है। उस अनैतिकता के वातावरण को रोकने के लिए एक हथियार होता है। मैं समझ नहीं पाया हूँ कि राजस्थान सरकार ने ऐसा कानून क्यों बनाया ? जब कि हम पंचायती राज्य लाना चाहते हैं गांवो में राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं और साथ ही साथ इस बात की दुहाई देते हैं कि हम चाहते हैं कि लोग कम से कम कानूनी फन्दों में फंसे। लेकिन कानून के जरिये जो सुधार करना चाहते हैं तो इस प्रकार की प्रवृत्ति पैदा करना चाहते हैं कि वे आगे होकर स्वयं में

[श्री भैरूसिंह]

सुधार लाये, सोसाइटी में सुधार लाने की व्यवस्था करें। इस बात की डींग हांकते हैं। पंचायती राज्य की कल्पना करके, पंचायती राज्य इसी आशा से किया था। मैं माननीय मंत्री महोदय को जिन्होंने यह बिल प्रस्तुत किया है, उनको याद दिलाऊंगा कि हरिजन सेवक में जो कि गांधीजी का प्रमुख पत्र था और उनकी विचारधारा को निकालता था तो स्वयं महात्मा गांधी इस बात के पोषक थे और उसमें उन्होंने लिखा था कि जिस जगह कनून निरर्थक साबित होते हैं, बेकार होते हैं, तो सोसाइटी के हाथ में एक अधिकार होता है, एक हथियार होता हैं कि जिस हथियार के द्वारा जहां कानून का उल्लंघन होता है वहां एक साथ वह कानून की तामील कराता हैं। मेरी समझ में नहीं आया है कि अब ऐसी कौनसी अड़चन पैदा होगई कि एक सामाजिक व्यवस्था जो चली आरही थी उस समाजिक व्यवस्था को तोड़ने के लिए यह कानून इस सदन में प्रस्तुत किया गया है।

इसका दूसरा पहलू एक और है। जब हम अपने विधान के द्वारा एक बात को मानकर चलते हैं कि हमारे विधान के अनुसार भारतवर्ष में, किसी प्रकार की कोई जाति नहीं होगी बल्कि कास्टलेस्स सोसाइटी होगी। यहां हम जाति को एक्जीस्टिंग कास्टम के रूप में मानकर चलते हैं तो मैं समझता हूं कि फंडामेन्टली हम इस बात के लिये उसके खिलाफ तरीके पर जा रहे हैं। हम नहीं मानते हैं कि भारतवर्ष में कोई जाति है। जब हम मानते हैं कि भारतवर्ष में बिना जाति पांति के भेद भाव के, एक प्रकार की सोसाइटी का निर्माण करने वाले हैं। उस सूरत में यदि हम यह मानते हैं कि उन लोगों का जाति बहिष्कार हो तो मैं समझता हूँ कि हम विधान के अनुसार नहीं लेकिन विधान के खिलाफ तामील करवाने को मजबूर कर रहे हैं या तामील करायें तो हम यह समझने को विवश है। दूसरी सूरत यह है कि यदि हम जाति के स्वरूप को मानकर विधान के प्रतिकूल भावनाओं को लेकर किसी प्रकार का कानून बनाते हैं, तो मैं समझता हूं कि वह कानून किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा।

इन दोनों सूरतों के अलावा यदि यह सोच लिया जाय कि यदि कोई विधान के अनुसार जाति पांति का भेद भाव करना चाहते हैं तो जाति नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन राजस्थान सरकार इस कानून में जाति के अस्तित्व को मानती है। फिर जाति से बहिष्कार होता है, इस बात को सामने रखकर जाति बहिष्कार को रोकने के लिये कोई नियम बनाती है, उस जगह इन दोनों दृष्टिकोणों के अलावा एक और दृष्टिकोण सोचना पड़ेगा कि आज कल बाहर गांवों में शासन की व्यवस्था की जो बात रह गई थी कि जहां कानूनों का उल्लंघन हो और कानून के उल्लंघन पर सजा मिलती है वहां उसको सजा नहीं देते हैं तो उसकी बुराइयों को दूर करने के लिए कानून के अलावा हमारे पास कोई दूसरी व्यवस्था हो तो मैं मानकर चलूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था में समाज को जो सजा देने का अधिकार था उसके लिए दूसरी व्यवस्था कर दी है।

लेकिन दूसरी व्यवस्था का कोई नाम नहीं। इसका मतलब यह है कि मैं जब जाति मानकर नहीं चलता हूँ और सोसाइटी मान कर चलता हूं तो जाति मानना कान्सटीट्यूशनका विरोध करना है, जाति मानना कोन्स्टिट्युशन की तौहीनी करना है

Page No 37

[श्री भैरोंसिंह]

तो जब हम क्लासलैस सोसाइटी मानते हैं तो इस बात को सोचना पड़ेगा कि जो अधिकार दिये है, वे वापिस लें या नहीं। उन अधिकारों को वापिस लेने की आवश्यकता है या नहीं। जिस सोसाइटी को अधिकार दिये हुये हैं उनका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं माननीय मन्त्री जी इस बात का उत्तर देंगे कि जब जाति कोई नहीं हैं। सोसाइटी है, इसको जाति इसलिए मान कर चलते हैं कि हरिजनों का बहिष्कार नहीं होगा, जाति वाले किसी का बहिष्कार नहीं कर सकेंगे। इस कानून द्वारा हरिजनों के मन्दिर में छुट्टी देते हैं तो ठीक है कि ब्राह्मण के मन्दिर में हरिजन जन जाता है, यह मान कर चलते हैं कि उसका सोशल बायकाट होता है। सामाजिक भावना को संकीर्ण बनावें तो यदि जिस रूप में यह कानून आया है तो उसका रूप बदलना पड़ेगा। जब सोसाइटी का अधिकार मानकर चलते हैं उस सोसाइटी के अधिकारों को न छीना जाने के जब कानून बनाते हैं तो उस समय यह सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार की व्यवस्था से कितना सुधार होने वाला है। इस प्रकार के कानून को सदन में पास कराने से पूर्व यदि माननीय मन्त्री महोदय जानकारी प्राप्त कराते कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई है तो ठीक था लेकिन सरकार की ओर से जैसी मनोवृत्ति है, केवल यह कहकर कि कुछ रियासतों में कानून था इसलिये इसको सारे राजस्थान के लिए लागू कर रहे हैं, उचित प्रतीत नहीं होता है। अगर आप कानून के उद्देश्यों को देखेंगे तो उससे पता लगेगा कि सिवाय जोधपुर रियासत के राजस्थान में सामिल होने वाली और अन्य रियासतों में इस प्रकार का कानून नहीं था। जोधपुर में ऐसा नहीं था जैसा कि आप कर रहे हैं। सोसाइटी से बायकाट करने के ऊपर. कुछ कामों को उस कानून द्वारा रोका नहीं गया है बल्कि प्रोत्साहन दिया गया है। लेकिन जोधपुर के कानून की आड़ लेकर और चूंकि बाकी राजस्थान में शामिल होने वाली रियासतों में इस प्रकार का कानून नहीं था इसलिए इस को सारे राजस्थान के लिए लागू करना और उस कानून को सामने रख कर सारे राजस्थान के लिए कानून बनाते हैं तो उससे विशेष फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह समाज की व्यवस्था का प्रश्न है, समाज की व्यवस्था में हेरफेर का प्रश्न है समाज के अधिकारों की छीनने का प्रश्न है, अगर इस प्रकार का सरकार कानून बनाये तो वह उचित नहीं होगा। इसके लिये उचित तो यही होगा कि एक प्रवर समिति बना दी जाय और इस सम्बन्ध में जितने कानून बने हुए हैं। वह उनको और समय की आवश्यकता को महसूस करते हुए सदन में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। इसको उचित समझते हैं, पास करवाना है तो उस प्रवर समिति के प्रतिवेदन के साथ सदन में प्रस्तुत करके, फिर पास करावें। लेकिन इस प्रकार की समाज की व्यवस्था में हेर फेर करने वाला कानून सदन में बिना प्रवर समिति में गये और लोगों की राय जाने बिना कानून सदन पास करता है तो इतना तो नहीं कहूंगा कि गैर जिम्मेदारी का वायस है लेकिन इतना तो कहूंगा कि समाज की व्यवस्था में उच्छृखलता पैदा करते हैं समाज व्यवस्था में जबरदस्त हेरफेर करते हैं और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की राय व्यक्त करें।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, यह जो विधेयक हमारे सामने आया है वह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण बिल है और जितनी आसानी से प्रस्तुत किया जा रहा है कि कोई राय दे

[श्री वेदपाल त्यागी]

सकें। इसलिए मैं प्रस्ताव करूंगा क्योंकि इसका असर समाज पर होने वाला है और आज जिसको समाज कहते हैं वह गांव की भाषा में जाति के नाम से पुकारते हैं और उसको वही समझते हैं। जो शहरों में रहते हैं, जिन्होंने समाज को विस्तृत कर लिया हो, पढ़े लिखे लोग विस्तृत कर सकते हैं लेकिन गांव का जो जीवन है यही समझते हैं, कि हर समाज का मतलब यही समझा जाता है कि वे आपस में बैठ कर रस्मरिवाज एक दूसरे के परस्पर एक्सचैन्ज करते रहें, और इसके अनुसार अपने आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें। इसमें जाति और उपजाति का जो विश्लेषण किया गया है उसको देखें और वह गांवों की परिस्थति पर लागू करें तो विदित होगा कि समाज की व्यवस्था में बहुत बडा परिवर्तन आने वाला है और उसको पास करने से पहले मैं यह जरूरी समझता हूं और माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूं कि मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें कि लोगों की यह सम्मति हैं कि इसके लिए जानकारी प्राप्त की जावे और उस सम्मति से गाइड होने पर हम निर्णय ले सकें।

इस पर मेरे से पूर्व वक्ता ने काफी प्रकाश डाला है कि किस प्रकार यह आसान नहीं है। यह भी बता देना चाहता हूं कि समाज व्यवस्था को बदलने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है, नुक्ते वगैरा के कानून भी पास हुए थे। लेकिन उनका कैसे पालन हुआ है। जब तक समाज उसको अपना न ले, जब तक समाज उसको ग्रहण न कर ले, तब तक कानून बना देने से कोई लाभ नहीं होता है। अगर आप समाज की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो पहले उसके लिए वातावरण तैयार करना पड़ेगा और लोगों को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। उनको ठीक तरह से पहले सही करें और फिर समाज की व्यवस्था को बदलना होगा। मैं यह निवेदन करूं कि यह व्यवस्था बदलना चाहते हैं लेकिन वह समयाकूल नहीं है जैसे इसमें कहा गया है। It is not in consistance with the time. मैं निवेदन करूंगा कि समयाकूल बहुत सी बातें नहीं है। मैं याद दिलाऊं कि अगर केन्डीडेट्स खडा करने की कोशिश करते हैं तो यह ढूंढना पडता है कि कौनसी समाज के व्यक्ति ज्यादा हैं ताकि हमें वोट मिल सकें। एक तरफ तो हमारा यह रवैया है, हम अपने एक्शन्स से, कृतियों से जातिवाद को प्रोत्साहन देते हैं और दूसरी तरफ जब जाति में अगर कोई अच्छे रिवाज मौजूद हों और यदि कोई व्यक्ति खराब काम करता है, और चूंकि वह जाति में रह कर खराब काम करता है, तो उस पर नियंत्रण लगाने के लिये, वे अधिकार इस्तेमाल किये जा सकते हैं तो उस नियंत्रण की विधेयक बना कर जड़ काटना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यह गलत चीज होगी। अगर आप खराब चीजों का उन्मूलन करना चाहते हैं, किसी जाति विशेष में खराब व्यक्ति हों और उन पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो वह कानून से नहीं रोका जायगा। उनको तो ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, ट्रेनिंग देकर उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो पहले हमें उनको ट्रेन्ड करना चाहिए। एक तरफ स्वतन्त्रता देते हैं कि धर्म की निरपेक्षता होगी, हमारी जाति का किस तरह का ओरीजिन है, किस तरह पनपी है, उस ओर ध्यान देना होगा। जाति को बनाने में पुराना इतिहास है और उसको उन्मूलन करना चाहते हैं तो यह बहुत बड़ा कार्य होगा। कार्य के पीछे सेक्टिटी है तो यह है कि उस समाज में बैठ कर वहां उन अधिकारों का प्रयोग करते हैं, खराबी के लिये जातिच्युत, अमुक व्यक्ति कर

[श्री वेदपाल त्यागी]

दिया जावेगा। अगर वास्तव में उन लोगों को, उन अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं तो उस ढांचे को बदलने के पहले नक्शा तैयार करना पड़ेगा। समाज के व्यक्ति पर नियत्रण जाति से निकालने के लिये नहीं है किन्तु खराब काम करने वालों पर नियंत्रण रखने के लिये है। बहुत से ऐसे लोग हैं, जो समाज में बैठने लायक हैं क्योंकि उनकी पैसे से स्थिति ऊंची है, रुपया उनके पास है, रुपया पैदा करने के साधन हैं, उनके सामने सारे साधन हैं और उनकी कुप्रवृतियों की इज्जत करनी पड़ती है। लेकिन आज कोई गरीब है किसी जाति में रहता है और कोई खराब काम करता है तो उस जाति वालों की कोई सेन्कशन नहीं है कि उसको ठीक तरह से रास्ते पर ला सकें बस उसको बहिष्कृत कर दिया जावे। इसको समाज का बहिष्कार कहें, या जाति का बहिष्कार कहें। जो ढांचा बना हुआ हैं वह सोनोमस चीज है इसका बुरा असर पड़ने वाला है, अगर आपने उन लोगों के अधिकार छीन लिये तो, जो आपकी सेन्कशन बनी हुई हैं, जिसे पायस सेन्कशन कहना चाहिए, उनसे छीन रहे हैं और इससे गांवों की व्यवस्था खराब हो जावेगी। इसलिए इसको पारित करने से पूर्व लोगो की राय ली जानी चाहिए कि वे किस तरह से इसके लिए तैयार हैं। इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।

श्री मुक्तिलाल मोदी—इस कानून पर जनता की राय लेने के बारे में श्री त्यागी जी ने जो प्रस्ताव रखा हैं उसका मैं समर्थन करता हूं; क्यों कि कोई भी कानून हो, मैं यह मानता हूं कि उस पर जनता की राय लेनी चाहिये। कुछ दिन पहले बतलाया था कि जैसा कि राजस्थान सरकार ने जरायम पेशा कानून बनाया था और इसके अलावा और भी छोटे छोटे कानून बनाये थे, उनको जनता तो तोड़ती है सो तोडती ही है लेकिन उससे भी ज्यादा बडे अधिकारी, मिनिस्टर, एम. एल. ए. और बड़े बड़े अधिकारी उन कानूनों को तोड़ते हैं। तो ऐसी हालत में जो भी कानून बनें उसको कम से कम नहीं तोड़ना चाहिये। लोग सरकार की तरफ से बने हुए कानूनों को नहीं मानते हैं लेकिन इसी बात का कोई नियम जाति की तरफ से बनता है तो उसको जरूर मानना पड़ता है। लेकिन आज जो कानून सरकार बनाकर रखेगी उन पर जनता की राय नहीं ली जायगी तो उसको जनता तोड़ेगी। जैसा त्यागीजी ने कहा वैसे ही जनता की राय जानली जाय, तो इसमें हर्ज ही क्या है। असेम्बली को बैठते हुए चार साल हो गये और इतने अर्से तक यह कानून नहीं आया तो ६ महीने और सही। अभी यह असेम्बली ८-१० महीने और चलने वाली है, और ये ही मेम्बर रहेंगे तो त्यागीजी के कहे अनुसार जनता की राय इस पर मांगनी चाहिये, उसके बाद अच्छा रहेगा, क्योंकि सरकार कानून बनाती है और उसका पालन नहीं होता है तो सरकार की कितनी बदनामी होती है और बनाने वालों की कितनी बदनामी होती है कि कानून तो बनाया लेकिन पालन नहीं होता है।

सरकार ने पहले कानून बनाया था कि जूआ नहीं खेला जाय लेकिन जयपुर के बाजार में सुबह से शाम तक जूआ खेला जाता है और छोटे और बड़े आदमी इस में हिस्सा लेते हैं। सरकार ने कानून बनाया था, इसलिये १०, २०,५० आदमी पकड लिये जाते हैं। सुबह पकड़ लिये

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

जाते हैं और शाम को छोड़ दिये जाते हैं। कुछ ऐसे भी आते हैं जो काम नहीं करते हैं वे भी पकड़ लिये जाते है। ऐसी हालत में आज सरकार कानून बनायेगी, तोड़ने वालों को जेल में बैठायगी परन्तु लोग वैसे ही छूट जायेंगे। कुछ अनजाने लोग भी इससे पकड़े जायेंगे। ऐसी हालत में जनता के पास यह कानून चला जायगा तो लोगों को मालूम होगा कि इस तरह का कानून बन रहा है इसलिये आयन्दा हम को इस तरह का काम नहीं करना चाहिये। ऐसा करने से कानून का पालन होगा। राय देदेने पर जनता की उसके लिये जिम्मेदारी होगी कि हमने राय दी थी इसलिये इस कानून का पालन होना चाहिये। ऐसा करने से इसका बोझ जनता पर हो जायगा और कानून सफल होगा। यदी कानून सरकार ने बनाया और सफल नहीं होता तो बदनामी होती है। और सफल नहीं होने का कारण यह है कि जनता को पूछ कर नहीं बनाया। इसलिये मैं मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि श्री त्यागीजी ने जनता की राय जानने के लिये जो प्रस्ताव रखा है उसका पालन किया जाय।

श्री अध्यक्ष—अपना प्रस्ताव नहीं पेश करेंगे ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं अपना प्रस्ताव रखता हूं।

श्री अध्यक्ष—त्यागीजी ने नहीं रखा है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृहमंत्री)—श्री भैरूंसिंहजी ने सुझाव दिया है कि इस बिल को प्रवर समिति के पास भेजा जाय........

श्री अध्यक्ष—दो प्रस्ताव हैं, एक तो प्रवर समिति के पास भेजा जाने का और दूसरा पब्लिक ओपिनियन के लिये रखने का।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—जहां तक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का सवाल है, उससे मैं सहमत हूं। श्री त्यागीजी ने यह सुझाव दिया है कि इसे पब्लिक ओपिनियन के लिये सर्कूलेट किया जाय, इससे मैं सहमत नहीं हूं।

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय, श्री त्यागीजी की विचाराधारा से मंत्रीजी सहमत नहीं हैं। इस संबंध में दरअसल में हालत ऐसी है कि सुधार संबंधी जो कानून बनाते हैं, वे गंभीर होते हैं, जनता के वास्ते। और जहां तक प्रवर समिति के पास जाने का सवाल है, मैंने इसमें कुछ कानूनी खामियें देखीं जैसे क्लॉज २ में एक्सप्लेनेशन्स में सिविल नेचर के लीगल अधिकार, प्रिविलेजेज़ हैं, उनको सीमित किया गया है और भी जो बीमारियें है, वे दूर हो जावेंगी, प्रवर समिति के सामने जाने से। प्रवर समिति के सामने सब तरह की विचार धारा आयेंगी। मेरा मानना है कि

Page No 41

[श्री श्रीदास गोयल]

बहुत सी जातियों की बेकवार्ड हालत है सुधार की दृष्टि से देखेंगे तो आप उनमें बहुत सी कमियें पायेंगे लेकिन आप उनको कानून से अच्छी तरह से रोक नहीं पायेंगे। यदि कम्युनिटीज किसी बात का बहिष्कार करती है तो उसके पीछे कुछ भावनायें रहती हैं और उसका पालन कम्युनिटी के लोगों को करना पड़ता है। आपने कानून बनाया और उसके साथ एक्सकमुनिकेशन के लिये सजा का भी प्रोविजन रखना होगा। लेकिन समाज ऐसी कुछ बातों को रोकना चाहती हैं तो ऐसी बहुत सी सुधार की बातें हैं जो लीगल आस्पेक्ट से नहीं भी होती हैं लेकिन वे यदि तय हो जाती हैं कम्युनिटी के फायदे के लिये, तो उसका पालन करना पड़ता है। तो मंत्रीजी ने इस बिल को प्रवर समिति को सौंपने के लिये स्वीकार किया है, वह सराहनीय है क्यों कि वहां कई प्रकार की विचारधारा रखेंगे और जो डिफेक्ट्स है उन्हें दूर करने का रास्ता खुलेगा।

लेकिन मेरा एक निवेदन और है और वह यह कि सिवाय बोम्बे स्टेट के जैसा कि स्टेटमेंट ओफ ओब्जेक्शन्स एंड रीजंस...........

श्री अध्यक्ष—स्टेटमेंट और ओब्जेक्ट्स एंड रीजन्स।

श्री श्रीदास गोयल—इसमें शायद गलती से ओब्जेक्शन्स एंड रीजन्स लिखा है इसमें साफ लिखा है कि बाम्बे स्टेट के अलावा और कोई स्टेट नहीं है जहां ऐसा कानून बनाया गया हो। मैं ख्याल करता हूँ कि बाम्बे और राजस्थान एक दूसरे से बहुत दूर है, दौड़ में। बाम्बे के बाद और भी कई दूसरे स्टेट्स हैं जो एडवांस कहे जाते हैं और वहां पर ऐसा कानून नहीं है तो ऐसी हालत में जो पिछड़ा हुआ स्टेट है। माफ कीजियेगा जो पिछड़ा हुआ है उसको पिछड़ा हुआ कहने में कोई हर्ज नहीं है, पिछड़े हुए इलाके में ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं उससे थोड़े बहुत सामाजिक सुधार होने वाले हैं उनमें डिस्करेजमेंट होगा। शराब पीने वालों को जयपुर की होटलों में मुलाहिजा कीजिये। अहिंसा परमोधर्म को मानने वाले शराब पीते हैं और अभक्ष्य चीजें खाते हैं लेकिन छिप छिप कर। अभी उनके मन में कुछ डर और रुकावट अवश्य है। इस कानून के बाद सिविल राइट का सवाल पैदा होगा और खुली छूट मिलेगी ऐसे कामों के लिये।

जो कुछ भावनाएं इस कानून में है, मैं मानता हूँ कि शायद हरिजनों के सिलसिले को लेकर, मौजूदा हालत में सुधार करने की मंशा से हैं परन्तु मुझे यह निवेदन करना है कि एक कानून दुधारी तलवार का काम कर सकता है, जहां वह लाभ पहुंच सकता है, वह हानि भी पहुँच सकता है। ऐसी सूरत में यह कानून प्रवर समिति के सामने जाने के पूर्व कुछ समय के लिये, चाहे वह समय दो महीनों का ही समय हो, पब्लिक ओपिनियन के लिये प्रसारित कर दिया जाता है, तो इससे सहायता ही मिलेगी और प्रवर समिति के सदस्यों को पब्लिक ओपिनियन मालूम होने के कारण सहूलित होगी।

[श्री श्रीदास गोयल]

ऐसी सूरत में मेरा निवेदन करना है कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजने से पहले चाहे थोड़े समय के लिये प्रसारित किया जाय, वह अधिक लाभदायक होगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान लोक समाज बहिष्कार निवारण विधेयक, १६५६ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समित के सुपुर्द करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(श्री मुक्तिलाल मोदी को सम्बोधित करते हुए) दूसरा प्रस्ताव आपका है उसे सदन का मत जानने के लिये प्रस्तुत करूं या वापिस लेते हैं ?

श्री **मुक्तिलाल मोदी**—मैं इस पर बोलूंगा ।

श्री **अध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री मुक्तिलाल मोदी ने, उक्त विधेयक को जनता की राय जानने हेतु इस बिल को प्रसारित करने को रखा है, उसे स्वीकृत किया जाय ।

(अस्वीकृत)

उक्त विधेयक को जनता की राय जानने हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

श्री **रामकिशोर व्यास** (गृह मंत्री)—सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों के नाम कल दूंगा ।

श्री **अध्यक्ष**—कल । श्री रामनिवास मिर्धा ।

राजस्थान नोका नयन नियमन विधेयक, १६५६ (प्रवर समिति को)
(श्री रामनिवास मिर्धा की अनुपस्थिति में श्री भोगीलाल पंड्या)

श्री **भोगीलाल पंड्या**—माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान नौका नयन नियमन विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री **भैंरूसिंह** (दांता रामगढ़)—On a point of order, Sir, माननीय अध्यक्ष, इस बिल के प्रस्तुत करने वाले श्री रामनिवास जी मिर्धा हैं और आपने उन्हीं का नाम बोला

[श्री भैंरू सिंह]

इसके बाद श्री भोगीलाल पंड्या इसे प्रस्तुत करते हैं। यदि श्री रामनिवास जी मिर्धा की अनुपस्थिति में चीफ मिनिस्टर साहब, जो कि सारे राजस्थान के होल एण्ड सोल हैं, वे इसे इन्ट्रोड्यूस करते तब तो ठीक भी था परन्तु एक मन्त्री जिसने यह बिल बनवाया, वे ही इस बिल के बारे में पूरी तरह से हर प्रकार की जानकारी रखते हैं, उसको दूसरे मिनिस्टर पेश करें यह कहां तक उचित है। चाहे रुल्स के अनुसार वे इस लायक हैं, योग्य हैं कि इसे प्रस्तुत कर सकते हों, परन्तु सुविधा के अनुसार इस प्रकार का ढंग अपनाया गया तो यह एक गलत परम्परा होगी। यदि श्री राम निवासजी इस समय अनुपस्थित हैं तो इस बिल को बाद में ले लिया जाय। इस बिल के बारे में जितनी जानकारी इस बिल के बनवाने वाले मन्त्री महोदय को है उतनी जानकारी इनको नहीं होने से अगर इस बिल को सदन में प्रस्तुत करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष—"The member-in-charge of the Bill" means, in case of a Government Bill, any Minister and in any other case the member who has introduced the Bill. So any member of the Cabinet may move. There is no force in the argument.

श्री भैंरू सिंह—Force तो नहीं है, पर यह परम्परा गलत सी बनेगी। अध्यक्ष महोदय, जिनको इस बिल के बारे में जानकारी नहीं है, वे इस बिल को पेश करेंगे तो यह एक गलत परम्परा होगी।

श्री अध्यक्ष—I have heard enough of traditions. प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। अब इसके ऊपर आप बोल सकते हैं।

श्री भैंरू सिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

मैं अपने इस प्रस्ताव के पक्ष में सबसे पहले तो माननीय अध्यक्ष, यह निवेदन करूंगा कि जो अभी मैंने निवेदन किया है। मैं इस बात को मानकर चलता हूं कि जहां तक इस विधान सभा की नियमावली का प्रश्न है, हमने इस बात को मान्यता दी है कि जो मंत्री महोदय बिल को तैयार करवाते हैं उनकी अनुपस्थिति में....

श्री अध्यक्ष—When it has been opined by the chair, it is an insult of the House.

श्री भैंरू सिंह—नहीं मैं उस रूलिंग को चैलेंज नहीं करता परन्तु माननीय मंत्री महोदय जिन्होंने कि वह बिल अभी पेश किया है उन्हें जो असुविधा है वह बता रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—Come to the factual point. At the consideration stage if the Hon'ble Member opposes the Bill on principle, he is welcomed.

श्री भैरूं सिंह—इस बिल के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि राजस्थान में अभी नौका नयन नियमन के सम्बन्ध में कोई कानून नहीं है और इस कानून के बनाने के बाद जितनी राजस्थान में नदियां हैं या भीलें हैं और उन नदियों या भीलों में जो बोट्स के जरिये या छोटी छोटी नावों के जरिये से जो पेसेन्जर्स को लाने ले जाने का, या माल को ढोने का काम करते हैं, जिनके ऊपर आज किसी प्रकार का कानूनी नियन्त्रण नहीं है और इसके अभाव में यह कानून सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है।

मैं मानता हूँ कि जहां हमने मोटर ट्रान्सपोर्ट के लिये कानून बना रखा है और भी छोटे २ जिस प्रकार के ट्रान्सप्रोर्ट पेसेन्जर्स और माल के लाने ले जाने की व्यवस्था है, उस सम्बन्ध में कानून बना रखे हैं, पर इस कानून की भावना ही जुदा है। हमारा अनुभव है कि वह कानून ठीक ढंग से नहीं बनने के कारण सदन में बार बार संशोधन आते हैं और इससे काफी लोगों पर बुरा असर पड़ता है। मोटर ट्रान्सपोर्ट और दूसरे ट्रान्सपोर्ट को ले लीजिये, इस सम्बन्ध में सदन का कोई भी सत्र ऐसा नहीं गया, जिसमें इस प्रकार की सूचना नहीं मिली हो कि आज इस कानून पर अमेंडमेंट आ रहा है, कल उस कानून पर अमेंडमेंट आने वाला है। इसका एक मात्र कारण यही है कि पूरी जानकारी के बगैर कानून पास करवाते हैं। और आगे यही हाल इस कानून का भी होने वाला है।

इस कानून के बनाने से पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि आज इस कानून की आवश्यकता क्या है, और यदि राजस्थान में कोई नावों के द्वारा अपना जीवन बसर करते हैं, तो उन पर पाबन्दी लगायेंगे तो उनको इससे कितना लाभ और कितनी हानि होगी, आया यह उन लोगों के हक में होगा कि नहीं। यदि छोटे से नियन्त्रण डालते हैं, जिनका ज्यादा लोगों पर असर नहीं होने वाला है तो इसके माने साफ यह होंगे कि हमारे पास कोई काम नहीं है, हमें किसी भी तरह समय निकलना है, हमें कानूनों के जंगल, बीड खड़े करने हैं, यदि इस खयाल से यह कानून बनाया जा रहा है तो हम इस प्रकार के कनून बनाते रहें। यदि सदन इसी प्रकार के कानून बनाता रहे तो बार बार सदन में संशोधन आते रहेंगे जिस प्रकार कि अभी स्टेम्पस ला संशोधन आदि विधेयक लाये गये। परिवर्तन करने के लिये यदि बार बार इस प्रकार के छोटे छोटे कानून बनाते रहे तो राजस्थान की जनता इन कानूनों की तामील कर सकेगी, इसकी संभावना नहीं और राजस्थान के अधिकारी भी नहीं समझ पायेंगे कि राजस्थान में कितने कानून हैं, राजस्थान में कानूनों का जंगल, बीड़ बन जायगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के कानूनों के बीड़, जंगल बनाने की आवश्यकता नहीं। जितने कि आवश्यक कानून हैं वे ही बनाये जांय जिससे सब को उनके बारे में जानकारी रहे। हम तो कानून बनाते रहें, जनता को भले ही उसकी जानकारी हो या नहीं हो इसकी आवश्यकता नहीं? जनता परेशान हो, इस दृष्टि से कानून बनाते हैं तो यह ठीक नहीं। आज ग्रो मोर फूड कम्पेन नहीं, ग्रो मोर ट्रीज़ कम्पेन भी नहीं रहा तो यह ग्रो मोर कानून कम्पेन क्यों चलाया जा रहा है?

(हंसी)

[श्री भैरूसिंह]

(श्री हिम्मत सिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

इन कानूनों की बाढ़ को हमें रोकना है, जितने कम कानून बना सकें उतने कम कानून बनाने की व्यवस्था करें। यदि रिवर्स में, झीलों में नौकाएं चलती हैं उन पर पाबन्दी डालनी है तो इस प्रकार की पाबन्दी, व्हिकल्स, ट्रान्सपोर्ट के बारे में जो कानून बने हुए हैं, उस में इस प्रकार की एक और धारा डाल कर इस प्रकार की पाबन्दी लगा सकते हैं। यदि परिभाषा बदलवा कर यह व्यवस्था करें तो लोगों को इसकी जानकारी अच्छी तरह से हो सकेगी। छोटी छोटी बातों के लिये अलग अलग कानून बनाते रहे तो यह ठीक नहीं होगा। जब हम कानून बनाते हैं तो इस कारण से उन नावों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, नावों का निरीक्षण करना होगा, निरीक्षण करने के लिये ओफीसर्स, कर्मचारी रखने पड़ेगें, इस विभाग का संचालन करने के लिये डायरेक्टर जनरल जिस प्रकार कि ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर है वह भी बनेंगे, इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति करनी होगी। चाहे काम हो या नहीं हो, अगर यह मान कर चलें कि लोगों को केवल इस प्रकार का धंधा देना है तो हम मानेंगे कि धंधा देने के लिये जितने कानून बनायें, बनायें। पर एक तरफ हमारा यह दृष्टिकोण है कि नौका नियमन के बारे में हमारे यहां कोई कानून नहीं है इस लिये कानून बनायें और वही दृष्टिकोण हमारे सामने लाने के लिये चेष्टा करते हैं तो वह किस प्रकार से पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुँचाए इस तरह की व्यवस्था करनी है। मगर इससे जो रुख हमारे सामने है, वह यह है, कि इससे नाविकों को परेशान करने के अलावा और कुछ बात नहीं होगी, आज तक जो नाविक बिना लाइसेन्स के पैसा जोड़ कर नाव बनाते थे और नदी या झील में ले जाते और उससे अपना पेट पालते रहे थे उन पर हम लाइसेन्स और रजिस्ट्रेशन की पाबन्दी डालेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन गरीबों पर विशेष पैसा न लगावें। जिस तरह से आप एग्रीकल्चर इन्कमटैक्स और सैल्स टैक्स आदि में एमेन्डमेंट ला रहे हैं उसी तरह से इसमें भी अगले सेशन में एमेन्डमेंट आवेंगे कि जो इस प्रकार से लाईसेन्स नहीं लेगा उस पर इतना फाइन लगेगा और देना होगा। उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उसको जुर्माना देना होगा। यदि किसी कारण से उनको लाइसेन्स लेने या रजिस्ट्रेशन कराने में देर हो गई तो उनको सजा दी जावेगी। मैं यह कहूंगा कि हमारा दृष्टिकोण कानून बनाने का यह है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें मिलें, अगर यह दृष्टिकोण है तो ठीक है। कम से कम कानून बनाये जाने चाहिये और दूसरा दृष्टिकोण यह हो कि रुपया पैदा करना है। यदि हम कानून बना कर नाविकों के लिये रजिस्ट्रेशन और लाइसेन्स की व्यवस्था करें और मौन रहें तब तो ठीक लेकिन बाद में उनसे पैसा छीनने की कशिश करें तो यह कानून गरीबों के लिये हितकर नहीं होगा और उन गरीब नाविकों के साथ अन्याय करने वाला कानून होगा। आप यह चाहते हैं कि इस संबन्ध में कोई नियम नहीं है, इसलिये नियम हों। अगर आप यह चाहते हैं तो टान्सफोर्ट के साथ इस संबन्ध में एक मामूली धारा और जोड़ कर नियम बना सकते हैं। हम

[श्री भैंरूंसिंह]

यह भी कर सकते हैं कि और दूसरे प्रान्तों में जितने भी कड़े नियम हों उनका पालन करावें। अगर आप चाहें तो दूसरी कोई भी व्यवस्था कर सकते हैं। मगर आप यह सोचते हैं कि नये कानून से अच्छी व्यवस्था होगी और लोगों को फायदा होगा इस बात को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिये। सरकार यह चाहती है कि रजिस्ट्रेशन और लाइसेन्स की फीस लगाई जावे और पैसा बटोरा जावे जिससे एक करोड़ ७० लाख का घाटा जो बजट प्रस्तुत करते समय बताया गया उसे गरीबों से पैसा इकट्ठा करके पूरा किया जाए। मैं समझता हूं कि यह हमारी सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है। आज यह कहा जाता है कि कानून टैक्स लगाने के लिये नहीं बनाये जाते, वे जनता की सुविधा के लिये बनाये जाते हैं। अगर वे इस बात का आश्वासन देदें कि भविष्य में किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा और हम जनता के हित के लिये कानून की व्यवस्था करते हैं और नाविकों को नियंत्रण में लाने के लिये नियम बना रहे हैं और कोई सख्ती का कदम नहीं उठा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई सजा का कदम नहीं होता। मगर आप देखेंगे कि जब वे लोग लाइसेन्स नहीं ले पावेंगे या रजिस्ट्रेशन नहीं करा पावेंगे तो उन पर पेनल्टी इम्पोज होगी, फाइन होगा और उसको वसूल किया जावेगा। अगर वह फाइन या पेनल्टी वसूल नहीं होती है तो उन गरीब नाविकों की नौका को नीलाम करके उनसे पैसा वसूल किया जाएगा। क्या इस प्रकार का कोई भी कानून उचित कहा जा सकता है? मैं तो समझता हूँ कि यह उचित नहीं कहा जा सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह कानून जब बनेगा तो एक जाति में, एक जाति इसलिये कहता हूँ कि एक ही जाति के लोग नाव चलाते हैं। लोगों को इससे कोई विशेष अड़चन तो नहीं होगी! इसलिये हमें जान लेना चाहिये कि उनकी वस्तु परिस्थिति क्या है। इन सारी बातों का अवलोकन करने के बाद हम अगर इस नतीजे पर पहुँचें कि हमें इस प्रकार का कानून बनाना चाहिये तो बनाना चाहिये। नियम बनाने के लिये जिन महानुभाव ने यह प्रस्ताव रखा है वे यहां पर उपस्थित नहीं हैं वे इसकी सारी बातों को जानते होंगे मगर उन्होंने यहां उपस्थित रहने की आवश्यकता महसूस नहीं की। अगर वे यहाँ होते तो इसकी आवश्यकता को अच्छी तरह से बताते। मगर यह प्रस्ताव दूसरे महानुभावों की तरफ से उनकी अनुपस्थिति में पेश किया गया। मैं यह इसलिये कह रहा हूँ कि कहीं यह परम्परा न हो जाए। अगर माननीय मंत्री महोदय खुद उपस्थित होते तो सारी बातें बताते कि यह कानून किस पर अमल में होगा। कौन व्यक्तियों के रोजगार पर इसका असर पड़ेगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि जिन व्यक्तियों के रोजगार पर इसका असर होगा और जिन लोगों पर अमल में लाया जावेगा, उन लोगों की राय जानने के पश्चात अगर इस कानून को बताया जाता तो ठीक होगा, आज जितने भी नाविक हैं, उनका कोई प्रतिनिधी नहीं हैं मगर जो उस कोन्सटीट्युन्सी से आया है उन लोगों में से कुछ सदस्यों ने, उन नाविकों ने अपना वोट अवश्य दिया ही होगा। इसलिये उनकी राय जानने के लिये हमें प्रयत्न करना चाहिये और राय से यह मालूम हो जावेगा कि कौनसे नियम उनके हित की रक्षा कर सकेंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी में हमें कोई कानून नहीं बनाने चाहिये। हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है और चूंकि हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है इसलिये सदन में इस प्रकार के विषय को प्रस्तुत कर जल्दी से जल्दी इसको पास करालें, ऐसा नहीं होना

[श्री भैंरूसिंह [

चाहिये । मैं निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे और जो लोग इस विषय में जानकारी रखते हैं, उनको बुलाया जावे और उन से पूछा जावे कि तुम्हारे धन्धे के लिये यह हित कर होगा या नहीं। उनकी राय जानने के बाद कुछ निर्णय लिया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा। केवल यह देख कर कि दूसरी रियासतों में ऐसा कानून है यहां पर भी होना चाहिये। मुझे इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, अगर हमारे माननीय मंत्रीजी को कुछ जानकारी हो तो वे बतावेंगे। मैं तो यह कहूंगा कि दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा हमारे यहां राजस्थान में बहुत कम स्थान ऐसे हैं जहां नावें चलती हैं और जहां कहीं हैं भी वहां पर एक ही जाति के लोग इस प्रकार के धन्धे को करते हैं, उस जाति के लोगों के हितों की सुरक्षा इस कानून से होगी ऐसा मैं नहीं मानता। एक जाति विशेष इस प्रकार का धन्धा करती है उस पर हम बिना उनकी जानकारी के कुछ करेंगे तो मैं कहूंगा कि उनके लिये बहुत अहितकर होगा। इसलिये इस डेमोक्रेसी में सब की राय जान कर चलना चाहिये। मैं तो यह मान कर चलता हूं कि मुझे कुछ इसका ज्ञान जरुर है। सारे लोगों को इसका ज्ञान शायद होगा या नहीं, मैं नहीं कह सकता। इस संबंध में कोटा के अलावा, नाविकों का ज्ञान सारे लोगों को किस प्रकार है, वे जानते हैं और अगर वे कहते हैं कि उनको इस विषय का ज्ञान है तो वे सही हो सकते हैं, लेकिन कुछ सदस्यों की जानकारी के आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिये और इस विषय में जानकारी की जानी चाहिये। इससे जनता को बहुत तकलीफ होगी। फिटनेश के सबन्ध में यह कहना चाहता हूं कि ट्रान्सपोर्ट में फिटनेस का सर्टिफिकेट देने वाले लोग हैं वे फिटनेस को सही तरह से बोल नहीं सकते और जब लिखते हैं तो लिखते हैं कि हमने फिटनेस का सर्टिफिकेट दे दिया।

यदि उनको ट्रान्सपोर्ट में जा कर अपनी नावों की फिटनेस का सर्टिफिकेट लेना होगा, जिस प्रकार से मोटरों का सर्टिफिकेट लिया जाता है तो मैं यह कहूंगा कि वे सारे के सारे गरीब नाविक मर जावेंगे। इसलिये उनके लिये जानकारी रखने वालों से जानकारी प्राप्त करके कि इस प्रकार के नियम होंगे, कितने टैक्स होंगे, कितना रुपया उन लोगों को नाव पर खर्च करना होता है आदि इन सारी बातों की जानकारी करके नियम बनाये जावें तो ठीक होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बिना पब्लिक की राय लिये नियम बनाना उचित नहीं होगा और चूंकि इस बिल के संबन्ध में लोगों के विशेष जानकारी नहीं है इसलिये इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे आशा है, मैंने जो प्रस्ताव किया है उसको माननीय मंत्री स्वीकार करेंगे।

श्री श्री दास गोयल:—माननीय चेयरमेन, इस बिल के द्वारा जो एक नयी प्रथा कायम की जा रही है बोटिंग के सिल सिले में वह महत्व पूर्ण है। जहां तक माननीय श्री भैंरूसिंह जीके कहने का सवाल है कुछ न कुछ कानून बनाने का ही काम रह गया है वह तो बिलकुल गलत है। यह उनकी बहुत जिम्मेदारी की व्यवस्था भी नहीं। मैं इतना जरूर निवेदन कर दूं कि बोटिंग के संबन्धमें इस प्रकार का कानून बहुत जरूरी है, खास तौर से ऐसी हालत में जब कि हम देखते हैं कुछ लोग गैर जिम्मेदारान तरीके से टूटी फूटी बेकार नावों से यात्रियों को इधर से उधर नदी पार

[श्री दास गोयल]

उतारते हैं, इस से क्या नावें उलट जाती है लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ता हैं। तो इस प्रकार का विधेयक अगर आता है तो हमें तहेदिल से स्वागत करना चाहिए। हर एक अच्छे काम में वही एक भावना रखना जैसी कि रामायण की एक चौपाई में वर्णन आता है। "जाकि रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखि तिन तैसी", उन्होंने इस बिल में उसी भावना को मूर्त रूप दिया। यह मैं भी मानता हूं कि इस बिल में कई डिफेक्टस हैं जिस प्रकार ट्रान्सपोर्ट ओथोरिटी मोटर आदि पास करती है उसी प्रकार नौकाओं के लिए भी उनसे सरटिफिकेट लेना होगा। यह एक ऐसा व्यापार है जिसमें केवल एक कम्युनिटी ही अपना गुजर बसर करती है। मैं समझता हूँ इस का ज्ञान माननीय मंत्री जी को अच्छा होगा। जैसा कि इस में प्रोविजन रखा गया है कि रिजनल ट्रान्स-पोर्ट अथोरिटी द्वारा इस प्रकार का सरटिफिकेट मिलेगा। और उस से प्रमाण प्रत्र प्राप्त करने पर ही कोई नोका चला सकेगा। आज भी इस तरह से नोकायें चलती है जैसे मंडरायल में चम्बल को क्रोस करने के लिए नौकाओं का प्रयोग होता है इसी तरह खंडार के इलाके में बनास नदी से पार उतरने में डोंगियों का सहारा लेना पड़ता है। यह ठीक है कि रीजनल ट्रान्सपोर्ट ओथोरिटी से उनको सरटीफिकेट लेना पड़ेगा, आजकल जो लोग यह व्यापार करते हैं उनकी आर्थिक हालत ऐसी अच्छी नहीं है कि वे जयपुर में रीजनल ट्रान्सपोर्ट ओथोरिटी के पास आकर सरटिफिकेट प्राप्त कर सके और जो इस संबन्ध में विशेष कार्यवाहियां करनी पड़ती हैं जिस प्रकार का प्रसीजर है समय लगता है और भी डिफेक्टस हैं जैसा कि मेरे पूर्व बोलने वाले माननीय मित्र ने जिक्र किया वे व्यक्ति इलिटरेट हैं। उनसे यह सब कार्यवाही करवाना उनके लिए असंभव सा हो जायगा। इस तरह से उनको बहुत ज्यादा डिसकरेजमेंट होगा, यह तो मैं जरूरी मानता हूं कि बिना सरटिफिकेट प्राप्त किये नोकाओंका चलन नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी स्वयं टेक्सी या मोटर को पास करता है हाला कि वह उसकी जांच नहीं कर सकता कि इस में क्या क्या डिफेक्टस हैं, वह अपने साथ एक इन्जीनियर रखता है, वह सब तरह से उसकी देख भाल करता है, फिर सरटिफिकेट इश्यू किये जाते हैं। मेरा यह निवेदन है कि रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी से यह अधिकार हटा कर सब डीवीजनल मजिस्ट्रट के पास यह अधिकार दे दिये जांय तो बहुत भला होगा। इस से ज्यादा आसान प्रोसीजर हो जायगा। मेरा इसके साथ साथ यह भी निवेदन है कि इसके साथ साथ जो अपील का प्रोवीजन रखा है उसमें ऐसा रख दिया जांय कि जो इस तरह के सर्टिफिकेट हैं, उनको केन्सल करने का अधिकार लाइसेन्स इश्यू करने वाले अथोरिटी को होगा। उसके बाद अपील कहां हो सकती है, विदिन ३० डेज, इस बारे में यह बिल साइलेन्ट है, उसके लिए लिखा हुआ है कि जब रूल्स बनेंगे उसमें यह अपील का प्रोविजन ले लिया जायगा। एक तरफ तो कन्सोलिडेशन के अधिकार तत्काल दिये जाते हैं और आगे अपील का प्रोविजन भी जहां साथ साथ होना चाहिये वह इसमें नहीं है। जब हम लाइसेन्स के केन्सिल्स करने के अधिकार रखते हैं तो उसके साथ साथ अपील की सुनवाई का भी प्रोविजन साथ साथ ही होना चाहिये इसलिए सरकार को इन सब बातों पर विचार करना निहायत जरूरी है। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना

[श्री श्रीदास गोयल]

जरूरी है कि इस बिल के सिलसिले में जो ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजंस दिये गये हैं, जो कुछ भी रखा गया है, In the intereet of the public it is desirable to have such legislation यह जो भावना हैं, कहीं ऐसा न हो जाय कि इस भावना को ठेस पहुंच जाय, कहीं इस बिल का जो हम सही उपयोग करवाना चाहते हैं, वह न हो। जहां हम बीमारी का इलाज करने जा रहे हैं, कहीं ऐसा न हो जाय कि वह बीमारी बढ़ती चली जाय बोट्स वगैरह के चलाने में असुविधा हो। वैसे ही हम देखते हैं कि कोई भी बिल पास हो जाता है, उसके बाद में उसके रूल्स वगैरह बनने में काफी समय लग जाता है और अगर इसी तरह से इसी आशा के साथ इस बिल में हुआ तो अनेक कठिनाइयां उपस्थित हो जायंगी। मैं यह नहीं चाहता कि इस छोटे से बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, मैं तो माननीय मन्त्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिये, व्यवहारिक बनाने के लिए दुबारा सोच कर रक्खें ताकि जनता का अधिक हित हो। जैसी कि स्थिति आज है इस बिल की वैसा ही यदि इसको पास कर दिया जाय तो मेरी निश्चित धारणा है कि हित की जगह कुछ समय के लिये अहित ही ज्यादा होगा, इन शब्दों के साथ प्रवरसमिति के लिये जो सुझाव आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री भोगीलाल पंड्या—चेयरमेन महोदय यह जो छोटा सा बिल है, इसकी बड़ी आवश्यकता है। अभी मेरे एक माननीय मित्र ने बतलाया कि दूसरे राज्यों में इस प्रकार का कानून है, यहां राजस्थान में कहीं नहीं है। और इसके साथ साथ यह भी बतलाया कि कोटा डिवीजन के जो माननीय सदस्य हैं, उनको इस बारे में अच्छी जानकारी है। मेरा इस संबन्ध मेंयही निवेदन है कि माननीय सदस्य ने अगर इस बिल को पूरी तरह से गौर करके पढ़ा होता तो उनको मालूम होता कि इसप्रकार का कानून पहले से ही मौजूद है The United states of Rajasthan regulation of boating ordinance." 1949 भूतपूर्व राजस्थान राज्य का ऑर्डिनेन्स संख्या ५ आफ १९४९: तथा सन्धि पत्रान्तर्गत राज्यों से किसी भी राज्य में प्रभावशील समस्त कानून नदियों तथा झीलों में नौकानयन को नियमित करते हैं। इस से यह साफ जाहिर होता है कि यह पहले से बना हुआ ऑर्डिनेन्स है। यहां मैं यह भी निवेदन कर देना उपयुक्त समझता हूँ कि जहां नावें चलायी जाती है वहां पर अभी भी कानून लागू है, जहां कोई क्षेत्र इससे वंचित रह गया है, उसके लिये यह वान्छनीय था कि कानून बनाया जाय इसलिये यह कानून बनाया जा रहा है। इस में मेरे ख्याल से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री भैंरोसिंह—चेयरमेन महोदय, यह कानून जो बने हुए हैं जिनका कि उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया वे कानून हमें लाइब्रेरी में, और और जगह भी नहीं मिले हैं, मैंने बहुत तलाश की। मैंने एक चिट्ठी भी माननीय मंत्री को लिखकर दी है कि ये कानून मिलते नहीं हैं, न मिलने की सूरत में हमें जानकारी किस प्रकार हो सकती है ?

श्रीभोगीलाल पंड्या—इसीलिये तो यह कानून बनाया जा रहा है, कि जिनको जानकारी न हो उनको भी जानकारी हो जाय। कहीं आपको नहीं मिले होंगे, सन् १९४९ का

[श्री भोगीलाल पंड्या]

ऑनेर्डिन्स इस संबन्ध में बना हुआ है। अब तक जो आपको कठिनाई रही है वह इस कानून बन जाने के बाद वह कठिनाई नहीं रहेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। ऐसा भी एक माननीय सदस्य ने कहा है कि इसमें अपील के लिये गुंजाइश नहीं है, आपने यदि इस बिल को अच्छी तरह से देखा होता तो आपको मालूम हो जाता अपील के लिए काफी गुंजाइश है और अलग से नियम बनेंगे वह नोटिफिकेशन द्वारा बता दिये जायेंगे। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह बिल बहुत आवश्यक है, इसलिए इसे जल्दी से जल्दी पास किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने से लोगों को बड़ी कठिनाई होगी, खास तौर से कई जगह ऐसा देखा जाता है कि लकड़ी के लट्ठे पर लोगों को बैठाकर लोगों को दूसरे किनारे ले जाते हैं इससे क्या होता है कि लोग बह जाते हैं कभी २ ऐसा भी होता है कि मवेशी और सामान भी लकड़ी के लट्ठे के साथ बांध कर बहा दिये जाते हैं जिससे क्या होता है कि सामान भी बह जाता हैं और मवेशी भी डूब जाते हैं। इस बिल के पास होने से सब तरह की सुविधा हो जायगी इस तरह से लोगों के जान माल की हिफाजत हो सकेगी इसलिए यह बहुत आवश्यक बिल है, इसमें किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसलिए मैं इसे प्रवर समिति में भेजने को आवश्यक नहीं मानता।

एक बात यह भी कही गई कि रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी के बजाय कलेक्टर या एस-डी-एन कर दिया जाय। यह ठीक है जिस समय इस बिल पर विचार होगा वैसे भी इस ऑर्डिनेन्स में इस प्रकार की व्यवस्था है कि स्थानीय कलेक्टर हैं, वही स्वीकृति देते हैं, अगर इस पर भी कोई कठिनाई है तो रूल्स बनाते वक्त उन सब का हल कर लिया जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—मुझे थोड़ा सा........

श्री हिम्मत सिंह (सभापति)—अब आपको थोड़ा दर्द है, पर नियम नहीं है, इस तरह आप क्वेश्चन-आन्सर करें। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री श्रीदास गोयल—Not question, sir....

श्री सभापति—No-no, you Can't.

श्री भैरू सिंह—माननीय सभापति महोदय, इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द के किये जाने का प्रस्ताव मैंने जब प्रस्तुत किया और उसका समर्थन सवाई माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने किया था तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद मंत्री जी इस स्थिति में हैं कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। पर इसके बाद जो उत्तर दिया, उससे भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव को चाहे टेकनीकल वे से इन्कार कर दिया हो पर विचारधारा के कारण उन्होंने इसका समर्थन किया है।

[श्री भैरूं सिंह]

उन्होंने यह बताया कि राजस्थान में इस कानून के लागू होने पर जो उसका रिपीलिंग सैक्शन है उसके मातहत यूनाइटेड स्टेट आफ राजस्थान रेगूलेशन ऑफ बोटिंग ऑर्डिनेन्स, १९४९ तथा सन्धिपत्रान्तर्गत राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रभावशील समस्त कानून जो नदियों तथा झीलों में नौका नयन को नियमित करते हैं इसके द्वारा निर्मित किये जाते हैं, परन्तु इस प्रकार नहीं कि जिससे उनके पूर्व प्रवर्तन पर प्रभाव पड़े।

इस पर मैंने उस समय भी आपत्ति उठाई थी कि सिवाय इस एक कानून के और राजस्थान की किस किस रियासत में इस प्रकार के कानून थे, वे बताये जाएं। ऐसे कानून कहां २ थे, इसको बहुत कम लोगों को जानकारी है, और यदि यह भी कहें कि सिवाय एक मंत्रीजी के किसी भी माननीय सदन के सदस्य को इसकी जानकारी नहीं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि पहले की रियासतों में कोई कानून इस प्रकार के थे और वह लागू थे और उनको हम इस कानून के द्वारा रिपील करते हैं, बिना इस प्रकार की जानकारी के कि वे कानून किस प्रकार के थे, उनके अमल में किस प्रकार की कठिनाइयां लोग महसूस करते थे, तो यह एक गलत चीज होगी।

दूसरी बात बताऊं कानून की प्रति मिल रही नहीं थी, इसलिये कहा गया कि यह कानून बना रहे हैं। तो इसकी किसकी जिम्मेदारी? कानून पास हो गये सरकार की ओर से और वह नहीं मिले तो यह किसकी जिम्मेदारी और अब भी विधान सभा ने कानून बनाया और वह भी नहीं मिले तो इसके लिये किसको जिम्मेदारी, वह नहीं मिले तो यह सरकार की ओर से गलत चीज होगी। और आज स्थिति बड़ी विषम है भी वास्तव में। यही नहीं कि पुराने कानूनों का पता नहीं, उनकी प्रतियां किसी प्रेस में नहीं मिलती किसी सरकारी प्रेस में आप मांगने जाओ तो नदारद। राजस्थान के प्रेस में जाकर टीनेन्सी एक्ट कोई खरीदना चाहे, जागीर रिजम्पशन एक्ट खरीदना चाहे तो नहीं मिलेंगे। इस विधान सभा द्वारा जितने भी कानून बने हैं, संकलन स्वरूप कोई पुस्तक छपी है, उसकी जिल्द को भी कोई राजस्थान प्रेस से खरीदना चाहे तो वह नहीं मिलेगी। अब यह किसको जिम्मेदारी है? आप अपने प्रेस की हालत ठीक नहीं कर सकते तो अब आप यह कहते हैं कि पहले के कानून चूंकि मिल नहीं रहे हैं इसलिये इस कानून को बनाने की जरूरत आ पड़ी तो मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से यह नम्र निवेदन है कि उन्हें अपने सरकारी प्रेसों की हालत को देखते हुए इस प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि अब यह कानून मिलने लग जावेगा। वरना उनके सामने फिर यह बात आ सकती है।

दूसरी बात मैंने कही थी उसका उत्तर नहीं मिला। कानून नहीं है और है भी, इन दोनों बातों का पता माननीय मन्त्री जी के द्वारा लगा। कानून है इसलिए यूनाइटेड स्टेट आफ राजस्थान रेगूलेशन आफ बोटिंग ऑर्डिनेन्स, १९४९ तथा सन्धि पत्रान्तर्गत राज्यों में अलग अलग कानून राजस्थान में लागू हैं। इससे पता लगा कि कानून है। पर साथ ही मन्त्री महोदय ने यह बताया कि कई जगह बोट नहीं हैं, और लोग लट्ठों पर लोगों को इधर उधर ले जाते हैं। एक तरफ कानून है और दूसरी तरफ लोग लट्ठों पर लोगों को और सामान आदि को इधर उधर ले जाते हैं इससे

[श्री भैरूं सिंह]

लगता है कानून नाम की कोई चीज वहां अमल में नहीं । कानून है पर अमल नहीं होता तो ऐसे कानून से क्या मतलब ? हो सकता है कि जहां लट्ठों से ले जाया जाता है वहां कानून न हो । तो सरकार को इसकी जानकारी देनी चाहिए कि किस किस जगह राजस्थान में और किस किस प्रकार के कानून हैं और कौन कौन सी जगहें ऐसी थीं या हैं जहां कानून लागू नहीं थे और कौन कौन से राजस्थान की भूतपूर्व रियासतों में ऐसे कानून थे और वे क्या थे । केवल यह कह देना कि पूर्व रियासतों में लागू थे इससे मालूम होता है कि स्थिति स्पष्ट नहीं है और इसका प्रमाण फिर यह है कि किसी प्रकार से यह कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई क्योंकि कानून बनने के बाद भी लोग लट्ठों पर डालकर लोगों को ले जाते थे और इससे जनता को काफी नुकसान होता है । पहले के जितने कानून बने हुये थे सरकारी अधिकारी उनकी तामील नहीं करते थे और न सरकार तामील करवाने की व्यवस्था करवा सकती थी । तो कानून बने होने के बाद भी यह बात होती है और लोग लट्ठों पर लोगों को ले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में यह जबर्दस्ती कानून क्यों बनवाया जा रहा है । जो पहले के कानून हैं, उनकी तामील नहीं और फिर यह दुबारा बनवाया तो इसकी भी तामील होगी या नहीं इसका क्या सबूत ? अगर यह स्थिति है तो इस कानून का बनाया जाना बेकार है ।

मेरा कहना है कि उन पुराने कानूनों की क्या स्थिति थी, वे कैसे हैं, और उनके अमल में न आने में क्या कठिनाइयां थीं, या हैं या उनके बारे में क्या सोचा जा सकता है, इन सब बातों पर विचार करने के लिये और सदन के लिये भी इस पर सोच विचार करना ज्यादा जरूरी है और जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य है, नहीं तो फिर इस कानून की भी वही हालत होने वाली है जो पहिले कानूनों की हुई । तो इस दृष्टि से इस कानून को प्रवर समिति के सुपुर्द कर देने की बात मैंने कही है और यह देखना बहुत जरूरी है, जल्दी में हम कानून बनावें और फिर उसमें वे ही खामियां रह जावें तो यह स्थिति उचित नहीं होगी । फिर भले ही वह प्रवर समिति इस पर चार पांच रोज में ही विचार कर ले । और मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि अगर आप यह देख लें कि इसमें क्या खामी है तो यह देखकर कल ही आप सदन में पेश कर दें तो मुझे इसमें भी कोई ऐतराज नहीं । पर मन्त्री जी उन पुराने कानूनों को साथ लेकर देखें तो सही, ताकि पता लगे कि अब तक जितने कानून थे, उनमें जो खामियां थीं, वे खामियां अब भी इसी तरह से इस कानून में हैं या नहीं और इस जानकारी के बाद इस बिल को सदन में पेश करावें तो ज्यादा अच्छा होगा । इतना कहकर मैं यही निवेदन करूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लें ।

यह कानून तो आप बाद में भी पेश करवा सकते हैं, ऐसी कोई जल्दी नहीं है । जहां इतने दिन निकले वहां पांच सात दस पन्द्रह दिन की देरी अधिक से अधिक और सही । इसलिये इस बिल को कल परसों तक जितने दिन के लिये वे चाहें उतने दिन के लिये प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें ।

[श्री भैरूंसिंह]

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे इस सदन में कुछ दिनों से यह परम्परा चली आती है कि हम पुराने कानूनों को रिपील करते हैं, पर उन कानूनों की जानकारी हमें नहीं होती, उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट नहीं मिलती कि इसमें क्या खामी थी। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि हमारा यह विशेषाधिकार भी है कि हम जिन कानूनों को रिपील करें उनकी पूरी जानकारी हासिल करें और सरकार अगर इसकी जानकारी नहीं देती है तो मैं समझता हूं कि यह वह हमारे विशेषाधिकार पर कुठाराघात करती है।

इन दोनों चीजों को सामने रखकर मैं निवेदन करूंगा कि मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लें तो ज्यादा अच्छा है और अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं अपने प्रस्ताव को सदन की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करता हूँ।

श्री श्रीदास गोयल—इस अमेन्डमेन्ट का क्या भाग्य निर्णय हुआ ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जहां तक यह प्रश्न है कि यह कानून किस किस रियासत में लागू था, यह मैंने आपको बताया। अगर आप नाम उन रियासतों के जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं :

उदयपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, कुशलगढ़, और किशनगढ़।"

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ में तो लागू नहीं था।

श्री भोगीलाल पंड्या—आपको मालूम नहीं होगा।

श्री चांदमल मेहता—पूरी तरह मालूम है कि स्टेट के वक्त में नहीं था।

श्री भोगीलाल पंड्या—वह तो पुराने राजस्थान का था।

अब प्रश्न सिर्फ यह रह जाता है कि दूसरी जगह, वहां जहां ये कानून लागू थे, वहां क्या कठिनाइयां महसूस की गई या इसमें क्या खामियां थीं वे देखी गई या नहीं। तो यह सब देखकर ही यह कानून बनाया गया है। अब आपने अगर इसमें और कोई खामी बताई होती तो अधिक ठीक होता। इस पर भी अगर आपकी यह इच्छा है कि इसको तीन दिन के लिये ही प्रवर समिति को दे दिया जावे या पन्द्रह दिन के लिये दे दिया जावे तो मुझे इसमें कोई अड़चन नहीं। इसे प्रवर समिति को दे दिया जावे और जल्दी से जल्दी इसको वापिस लाया जावे। इसके नाम मैं कल दे दूंगा।

श्री सभापति (श्री हिम्मत सिंह)—प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री भैंरूसिंह जी ने इस नौका नयन नियमन विधेयक, १९५६ को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के बाबत रक्खा है, वह स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदस्यों की लिस्ट दे दी जावे और पन्द्रह दिन में इसकी रिपोर्ट सदन में पेश हो जावे।

श्री भोगीलाल पंड्या—लिस्ट नामों की कल दे दूंगा साहब।

राजस्थान सार्वजनिक उद्यान विधेयक, १९५६

(विचार-विमर्श)

श्री रामचन्द्र चौधरी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—माननीय चेयरमेन, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सार्वजनिक उद्यान विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। क्या सदन की अनुमति है कि यह बिल विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैंरूसिंह (दि० सं० १६)—माननीय उपाध्यक्ष, वाटिकाओं की व्यवस्था करने संबन्धी जो यह बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है मैं उस बिल का विरोध करता हूं, और यदि उस बिल की किसी भी प्रकार से आवश्यकता होती तो मैं प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के लिये सदन के पास प्रस्ताव प्रस्तुत करता। लेकिन इस बिल को मैंने अच्छी तरह देखा है, और देखनेके बाद इसी नतीजे पर पहुँचा हूं कि इस बिल की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।

इस बिल में व्यवस्था की है कि जितने भी सार्वजनिक उद्यान व वाटिकायें होंगी और उन उद्यानों और वाटिकाओं में जितने जानवर रखे जायेंगे उनको कोई परेशान न करे, उनको कोई मारे नहीं, और कोई मार दे तो ले जाय नहीं, और ले जाने की सूरत में उन वाटिकाओं में जितनी भी सार्वजनिक चीजें हैं उनको किसी भी प्रकार से हानि न पहुँचाये। इस बात की इस कानून के द्वारा

[श्री भैंरूंसिंह]

व्यवस्था की जा रही है। मैं भी यह मानता हूँ कि कोई सार्वजनिक वाटिका है या सार्वजनिक उद्यान है तो वाटिकाओं के अन्दर जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उन सब की व्यवस्था की जाय। उन सब के लिये हम नियम बनायें। जिन नियमों के लागू होने से उन जानवरों को कोई परेशान नहीं करे, और न वाटिका या उद्यान को किसी प्रकार से हानि पहुँचाये। आज कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता, लेकिन हमें यह सोचना पड़ेगा कि जो यह कानून बना रहे हैं उस तरह का कोई आज कानून राजस्थान में लागू है या नहीं। यदि लागू है तो लागू हो सकने की सूरत में दूसरा कानून बनाने, अलग कानून बनाने, की आवश्यकता क्यों महसूस करते हैं? राजस्थान में भारतीय दंड विधान लागू है। उस दंड विधान में इस बात की व्यवस्था है कि कोई किसी जानवर को परेशान न करे जानवर को चोट न पहुँचाये, जानवरों को, जिसे कहना चाहिए फिजीकली अनफिट न बनाये, जानवर को दुःख न पहुँचाए, जानवर को मारें नहीं, जानवर को चोरी करके न ले जाय, जानवर के खाने में किसी प्रकार की खयानत न करे। और यदि किसी उद्यान में किसी प्रकार के पेड़ लगे हुए हों तो हरे पेड़ों को काटे नहीं, हरे पेड़ को बरबाद न करे। हरे पेड़ के लिए कानून है। जानवरों की रक्षा करने के लिये कानून है। जानवरों को दुखदर्द न पहुँचे इस बात की व्यवस्था करने के लिए कानून है, और फिर एक नया कानून बनायें बल्कि इस बात के लिए कि उद्यान व वाटिका में जितने जानवर हैं उनकी रक्षा कानूनन नहीं हो सकती है इसलिए इस बातकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो मैं यह मानकर चलता हूं कि जू के अन्दर कोई जानवर है उस जानवर को किसी प्रकार से कोई छुरे से आघात पहुंचाए तो जानवर को दुखदर्द पहुंचाने के विषय का कानून है जिसे "प्रिवेन्शन आफ क्रूएलिटी टू एनीमल्स एक्ट' कहते हैं जिसमें यदि किसी जानवर को कोई आघात पहुंचाता है तो उसके खिलाफ उस कानून के मातहत कार्यवाही की जाती है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—कौन सा कानून बतलाया आपने ?

श्री भैंरूंसिंह—Cruelty to Animals Act. वह राजस्थान में है और उस कानून में यह है। शायद उसका कोई दूसरा नाम होगा लेकिन कानून बना हुआ है कि जानवरों को कोई दुख दर्द न पहुँचाए, आघात न पहुंचाए, इस बात की व्यवस्था करने के लिए राजस्थान में कानून लागू है और मैं समझता हूं कि वह कानून है प्रिवेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनीमल्स एक्ट है। वैसी सूरत में यदि जैसा कि मैंने कहा कि बाग में किसी जानवर को कोई आघात पहुँचाता है छुरे से तो उसका प्रोसीक्यूशन उस कानून के द्वारा हो सकता है। उसका प्रोसीक्यूशन करवाने के लिए दुबारा कानून बनाते हैं तो दोनों के सेक्शन्स में कंट्रोवर्सी पैदा न हो जाय। जैसा कि मैंने कहा कि अगर किसी जान को नुकसान होता है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए 'क्रुएल्टी टू एनीमल्स एक्ट' के तहत तो दूसरा यह भी कह सकता है कि जो आज उद्यान का कानून बना रहे हैं इसके अंतर्गत होना चाहिये। तो दोनों चीजों को सामने रख कर यानी जो आज कानून लागू है और जो कानून लागू होने वाला है उसको सामने रख कर यदि कोई कानून बनाते हैं तो मैं समझता कि पिछले वाले

[श्री भैंरूसिंह]

कानून को रद्द करके यानी राजस्थान में कोई कानून लागू नहीं है पहले या किसी तरह के कानून हैं उन पर अमल नहीं होता है तो इन दोनों चीजों को सामने रख कर पिछले वाले कानून को लागू होने की परिभाषा से दूर हटा कर यदि हम कानून बनायें तो ज्यादा उचित होगा, न कि राजस्थान में जो लागू हैं उन कानूनों की अमली रुप से व्यवस्था नहीं होती है इसलिए व्यवस्था करने के लिए कानून बनाना, मैं समझता हूं, किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा ।

दूसरी चीज जो मैं अपनी इस दलील में प्रस्तुत करना चाहूंगा वह यह है कि जहां तक सार्वजनिक स्थान का संबंध है उन सार्वजनिक स्थानों के संबंध में नियम बनाने के लिए,उनकी व्यवस्था करने के लिए जितनी भी नगरपालिकायें हैं उन नगरपालिकाओं का वह अधिकार होता है । यदि किसी पंचायत क्षेत्र वही चीजें हैं तो पंचायत क्षेत्र का अधिकार है । यदि किसी पंचायत क्षेत्र और म्युनिसिपैलिटी के बाहर की चीजें हैं तो डिस्ट्रीक्ट बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की बात है । जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, जहां तक लोग उनको विजिट करने के लिए जांय, उन स्थानों को देखने के लिए जायं, उन स्थानों की जानकारी करने के लिए जायं, उनके ऊपर किसी प्रकार की पाबन्दी डालना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था नगरपालिका या यदि कोई पंचायती होगी तो पंचायत करेगी और दोनों के अधिकार में नहीं होगा तो डिस्ट्रीक्ट बोर्ड व्यवस्था करेगा । लेकिन वैसी सूरत में उसकी हम व्यवस्था करने के बारे में अधिकार लेते हैं, और अधिकार को कायम रखने के लिए कानून बनाते हैं तो मैं समझता हूं कि कानून का कोई उपयोग नहीं होगा ।

जहां तक पशु पक्षियों की रक्षा का प्रश्न है इस कानून की परिभाषा में दिया हुआ है कि पशु की परिभाषा में दूध पिलाने वाला और अंडे देने वाला जानवर भी उसमें है । आज तक पशु की परिभाषा यह होती थी कि दूध पिलाने वाला जानवर और पक्षी की यह कि अंडे देने वाला पक्षी इन दोनों शब्दों से ही इन दो प्रकार के जानवरों को संबोधित किया करते हैं । पक्षी से संबोधित है कि जो अंडे देकर बच्चे पैदा करते हैं और पशु से संबोधित करते है उन जानवरों को जो कि दूध पिला कर बच्चों को पालते हैं । लेकिन हमने यहां एक नई परिभाषा कर दी है कि अंडे देने वाला भी पशु होगा । यह राजस्थान सरकार का हिन्दी भाषा का कोष होगा उस कोष में अंडे देने वाला भी पशु होगा । मैं मानता हूं कि अंडे देने वाले दूसरे पक्षियों को भी दृष्टि में रख कर यह कानून बनाया है । मगरमच्छ को सामने रख कर पशु की परिभाषा में उनको रखने की चेष्टा की है । हिन्दी भाषा के जो ऐसे शब्द है उन शब्दों का गलत उपयोग नहीं हो सकता जिन शब्दों से कोई गलत धारणा नहीं हो सकती लेकिन उन शब्दों की परिभाषा में पक्षियों को शामिल करने की चेष्टा करते हैं तो यह शब्दों का ह्रास और भावनाओं का ह्रास होगा । वैसी सूरत यदि उसमें हम एडीशन करना चाहते थे तो पशु और पक्षी भी आ सकता था । मगरमच्छ की इसमें आवश्यकता प्रतीत होती थी तो पशु के साथ यह भी लिख देते कि इसमें मगरमच्छ भी शामिल है तथा ऐसे जानवर भी शामिल हैं जो कि पक्षी के रूप में अंडे देते हैं ऐसे जानवरों के बारे में भी व्यवस्था कर लेते ।

[श्री भैंरू सिंह]

दूसरी ओर हम इस बात का इसमें प्रतिपादन करते हैं कि यह कानून जू का प्रबन्ध करने के लिए है तो, हमारे यहां राजस्थान में कई स्थानों पर जू हैं। जू प्रबंध भी हो रहा है। जयपुर में जू की यदि सरकार के प्रबंध के बारे में किसी को जानकारी प्राप्त करनी हो तो कोई आदमी उस जू में चला जाय और वहां जाकर देखे कि सरकार के नियन्त्रण में वहां किस प्रकार का प्रबन्ध है। वह प्रबन्ध बिगड़ा हुआ क्यों है? वे माननीय मंत्रीजी इस समय हैं नहीं लेकिन मैं बताऊं कि इस कानून को बनाने के लिए केवल मन्शा यह है कि एक सुपरिन्टेन्डेट और २, ३ क्लार्क नियुक्त कर दें। यह उनकी प्रेरणा हो या सरकार सामूहिक रूप से कर रही हो लेकिन एक व्यक्ति ने सामूहिक रूप से कानून बनाने की प्रेरणा नहीं दी हो, ऐसा वे नहीं कह सकते हैं, बल्कि मैं यह कहूँगा कि राजस्थान के वित्त मंत्री ने एक आदमी को सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाने के लिए और इस प्रकार से कानूनी व्यवस्था करने के लिए आज यह सारा कानून इस सदन में प्रस्तुत किया है। वह व्यक्ति है श्री राम नारायण, जिसकी नियुक्तिन तो किसी पी. एस. सी. के द्वारा हुई है और न कोई दूसरा आधार, उसका आधार यह है कि अपने निजी आदमी को जबर्दस्ती नौकरी देने के लिए पहले जू में क्लर्क बनाकर भेजा कि उसको जू का सुप्ररिन्टेन्डेन्ट बनाया जाय। एक प्रश्न पूछा गया तो उसका जबाब दे दिया कि उसकी नियुक्ति पी. एस. सी. के द्वारा हो गई और अमेरिका में ट्रेनिंग में नहीं भेजा जा रहा है और उसकी नियुक्ति के लिए कानून के द्वारा जितनी सरकारी सरविसेज के लिए पाबन्दी करनी चाहिए उतनी पाबन्दी की गई। इसी सदन में एक माननीय सदस्य ने कहा था कि उस व्यक्ति ने सरकारी नौकरी में होते हुए भी लॉ का इम्तिहान दिया है, तो मंत्रीजी ने कहा था कि मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन बाद मे कहा कि उस व्यक्ति ने अगर इम्तिहान दिया है तो कोई एतराज नहीं है। मैं यह चीज इसलिए आपके समक्ष दोहरा रहा हूं कि इस कानून को बनाने से अन्याय हो सकता है उसको सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाया, अमेरिका से ट्रेनिंग दिला कर पी. एस. सी. को बगैर पूछे किसी प्रकार धंधा देते हैं। झूंठा कानून बनायें, उद्यानों की रक्षा करने के लिए, बाग बगीचों का प्रबन्ध करने के लिए, इसको सार्वजनिक रूप देकर, उन जानवरों को कोई मारे नहीं, आप इस पर ठीक ढंग से सोचें, माइन्यूटली इस पर सोचें, आज तक जानवारों को नुकसान नहीं पहुंचाया और अगर पहुँचाया है तो किसी को सजा मिली है, यदि उनको कोई सजा नहीं मिली है तो राजस्थान सरकार बताये कि आज तक उनकी रक्षा किस प्रकार से होती थी, कोई कानून था या नहीं? उनका यही उत्तर मिलेगा कि कानून था। जब जानवरों का कोई नुकसान नहीं होता था, जब जानवरों का कोई आघात नहीं पहूँचता था तो ऐसी सूरत में उस कानून के ऊपर कोई दूसरा कानून बनावें, यह उचित नहीं होगा। अगर कानून का निरसन हो जाय और बनायें तो ज्यादा उचित होगा। इसमें निरसन नहीं हुआ है, किसी कानून का रिपील नहीं हुआ है, इन्डियन पीनल कोड़ का दूसरा जो कानून है क्रूयल्टी टू एनीमल्स एक्ट इसकी जो धारायें हैं उनका उल्लंघन नहीं किया है वे जो कानून हैं किसी प्रकार लागू हैं, तो यह कानूनी रूप से गलत होगा और इस गलती को न करने के लिए मैं निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस कानून को वापिस ले लें। अगर वे इसको वापिस लेना उचित नहीं समझते हैं तो जो जानकारी मैंने दी है, उनके विषय में

[श्री भैरूसिंह]

खुले रूप से जानकारी दें। उस अफसर की वजह से आप यह कानून बना रहे हैं और वे कानून रद्द करेंगे जो आज जानवरों के लिए लागू हैं तो उनकी क्या दशा होगी, यह सब सिलेक्ट कमेटी में आवेंगे। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि वे इसको वापिस ले लें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर अपनी अपूर्ण जानकारी से इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं तो उसको प्रवर समिति के सुपुर्द करके पूरी जानकारी हांसिल करके दुबारा विचारार्थ सदन में पेश करें और अगर नहीं तो इसे वापिस ले लें। यह कानून अनावश्यक है और इसको रद्द कर देना चाहिए और अगर आवश्यकता महसूस करते हैं तो इसको बिना जानकारी के पास नहीं करावें, यही निवेदन करूंगा।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्षजी, अभी दांता रामगढ़ से आये हुए मेरे मित्र ने सदन के समक्ष जो सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव किया है........

श्री श्रीदास गोयल—किसका प्रस्ताव किया है?

श्री मानसिंह महार—सार्वजनिक उद्यानों के बारे में जो बिल है........

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह कानून एक बहुत ही घातक कानून होगा। अगर आप इस कानून को सिलेक्ट कमेटी के सामने नहीं रखेंगे तो मैं यह समझूंगा कि आप लोग कुछ अपने खास खास आदमियों को, खास खास पोस्टों के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं, कानून द्वारा। सदन के समक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, एक मैंने मिसाल रखी और मैं आशा करता था कि माननीय वित्तमन्त्रीजी उसका जवाब देते हुए कुछ शर्मिन्दा होंगे लेकिन शर्मिन्दा होने के वजाय उन्होंने हंस कर डेमोक्रेसी की जिस तरह मखौल की उसके लिए मैं यह कहूँगा कि उन जैसे डेमोक्रेट राजस्थान में हुए तो राजस्थान में डेमोक्रिसी की हत्या ही नहीं है डेमोक्रेसी का जनाजा पहले ही निकल चुका। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रामानारायण यादव के प्रश्न को लेकर अपने कृपा पात्रों को पोस्ट पर रखा। उपाध्यक्ष महोदय, जबाब मिला कि कोई है वह....

(घंटी)

एक बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—इससे सम्बन्धित बात ही कहें।

श्री मानसिंह महार—इससे जुड़ी हुई है। उनके नहीं लगे तो किसी तरह लगावें कि ये अन्याय करना छोडें। आज वित्त मन्त्रीजी तो नहीं हैं लेकिन हमारे निर्माण मन्त्रीजी बिराजमान हैं तो उनसे आशा करूंगा कि इसे केबिनेट के आगे वित्त मंत्री है उनको दबाने की कोशिश करेंगे, अन्याय हो रहा है, तो रोकेंगे।

[श्री मानसिंह महार]

मेरे मित्र ने रामनारायणजी की बात कही। किस प्रकार कृपा पात्र हैं मैं संक्षेप में बताऊं। वे इस तरह से कृपा पात्र हैं वित्त मंत्री महोदय के कि जब वे राजस्थान के वित्त मंत्री नहीं थे और राजस्थान सरकार में सेक्रेटेरियेट में प्रेक्टिस करते थे और जागीरदारों के मुकदमें लेते थे सेक्रेटेरियट में उनके जो साझीदार थे वे रामनारायणजी के पिता थे और उसी कृपा को पूरा करने के लिए उन्होंने रामनारायणजी को रखा और वहां पर रख कर एक ऐसा अन्याय किया है, ऐसी बात की है जिसकी कोई हद नहीं है। वे यह समझते हैं कि सदन में आने से क्या होता है। सदन में आवेगा तो उस बात का उपयुक्त अध्ययन होगा। इस प्रकार का अन्याय हो रहा है। जैसे मेरे मित्र ने मगर के बारे में बात कहीं। पशु पक्षी एक बना दिये। ऐसी परिभाषायें होना खतरनाक हैं। लोग यह समझते हैं कि हिन्दी कोष में शब्द नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है। बहुत शब्द हैं। आप इस तरह का गलत कानून लाकर के हमारे सामने रखें और यह आशा करें कि हम हिन्दी भाषा को उत्थान दे रहे हैं, दर असल उसको उत्थान के स्थान पर गिरा रहे हैं। यह सब सिलेक्ट कमेटी में बैठ कर तय कर लेंगे। सरकार यह समझती है कि रोड़े अटकाते हैं, कानून को पास नहीं करने देते लेकिन हम यह चाहेंगे कि आप दो तीन दिन के अन्दर सेशन के दिनों में ही बैठ कर तय कर लीजिये और फिर अपने तजुर्बात के अनुसार काम करें। जो तजुरबा हमारा है वह आपके कुर्सियों के ऊपर जाने से नहीं होता है, उनके सामने कानून रखे हुए हैं और निर्माण मंत्री के आने से पहले वह कानून चुपचाप हो गया, वे ध्यान से पढ़ रहे हैं, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि कानून बनाते वक्त धीरज से काम लेना चाहिये, कानून महत्व पूर्ण चीजें होती है। कानून की बारीकियों को पहिचानने में बड़ी दिक्कत आती है। कानून की यह दिक्कत रहती है कि लोग इन कानूनों से छुट्टी कैसे करते है। मैं मानता हूँ कि लॉ डिपार्टमेंट बडा काबिल है लेकिन लॉ डिपार्टमेंट वाले भी कई बार गलती कर जाते हैं। दूसरे प्रांतों से कानून की नकल कर लेते हैं। नकल करने से थोड़ी गलतियां हो जाती हैं। इस लिए सदन से निवेदन करूंगा कि इस कानून को और खास कर जो जानवरों के बारे में है और ऐसी चीजों के बारे में भी हैं जिनमें हमारा सार्वजकिक कार्य क्षेत्र कम है, सार्वजनिक कार्यकर्ता होते हुए भी इस क्षेत्र में काम कम किया है, नहीं तो ऐसी स्थिति नहीं होती कि मगर की परिभाषा पशुओं में कर देते, चिड़ियों....

श्री भैरूंसिंह—यह तो परिभाषा में शामिल है।

श्री मानसिंह महार—यह तो पशु पक्षी बलिदान को रोकने का बिल आया उसमें पशु पक्षी दोनों जुड़े हुए हैं। ओवर साइट हो गई होगी यही मान कर चलता हूं उपाध्यक्ष महोदय। अगर ओवर साइट हो गई है तो इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय यह और भी मजबूत हो जाता है। दो दिन के लिये भेजने में सिलेक्ट कमेटी के पास, कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं आयेगा, सदस्यों को जो मिलता है, वही मिलेगा और अगर आप यह सोचें कि पैसा बनाने की नियत से यह है तो यह बात भी नहीं है और राजस्थान का हित सर्वोपरि हो, राजस्थान का भला हो यही चाहते हैं। ऐसेम्बली के एक्स्ट्रा टाइम में बैठ कर यह कर लेंगे, रामनारायणजी यादव जैसा अन्याय जो विभाग करता है तो उसकी शुद्धि की सुविधा सदन में ही रहती है। इससे बढ़कर अन्याय

[श्री मानसिंह महार]

नहीं हुआ और रामनारायण यादव को सुपरिन्टेन्डेन्ट बना कर

(घंटी)

ये रामनारायणजी भी वही हैं जो वित्तमन्त्री जो के किसी साझीदार हैं उनके पुत्र

(घंटी)

हैं। इसको सिलेक्ट कमेटी में रेफर करने के लिए जरूर मंजूर कर देंगे।

सदन के भविष्य के कार्यक्रम सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री वेदपाल त्यागी—मैं समझता हूँ और भी लोग इस पर बोलने वाले हैं, लेकिन आज ७ बजे से सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा इसलिये आज हाउस को एडजोर्न किया जाय तो अच्छा हो।

श्री हिम्मतसिंह—सदन की राय यही है कि इसे आज इसी वक्त एडजोर्न किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आप यह चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही आज स्थगित की जाकर ३१ तारीख को ११ बजे मिलें ?

श्री मानसिंह महार—३१ तारीख को सेटरडे है उपाध्यक्ष महोदय, सेटरडे को मीट नहीं करने की परम्परा नहीं तोड़नी चाहिये और फिर उस दिन राजस्थान डे के उपलक्ष में रंगीले कार्यक्रम होंगे इसलिये हम लोग काम करने के मूड में नहीं होंगे।

श्री उपाध्यक्ष—३१ तारीख को मीट करने का पहले तय हो चुका है।

श्री मानसिंह महार—राजस्थान डे के नेक्स्ट डे रंगीला प्रोग्राम है।

श्री श्यामलाल गोयल—सेकन्ड को मीट कर लीजिये। सेटरडे को मीट नहीं करना चाहिये, चाहे हमें ६ घन्टों के बजाय ८ घन्टे भी बैठना पड़े। ११ से ५ बजे तक का टाइम रख लीजिये।

श्री श्रीदास गोयल—११ से ५ तक बैठने से ६ घन्टे हो जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—(सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से) आपकी क्या राय है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी—उस दिन स्पीकर साहब ने भी ३१ तारीख को मीट करने के लिये कहा था। अगर उस दिन मीट करलें तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री वेदपाल त्यागी—बजट के समय तो जल्दी थी लेकिन अब कोई जल्दी नहीं है। सेटरडे को बैठक नहीं होनी चाहिए।

श्री हिम्मत सिंह—११ से ५ बजे तक का प्रोग्राम है तो इससे ६ घन्टे हो जाते हैं। सेटरडे को हमेशा के लिये छुट्टी रहनी चाहिये। २ घन्टे वैसे भी हम पहले से ज्यादा डिवोट करते हैं। सुभीता यही है कि मन्डे को ११ से ५ बजे तक मीट कर लिया जावे और सेटरडे को प्रोग्राम नहीं रखा जावे।

श्री प्रभूदयाल—उपाध्यक्ष महोदय, २ तारीख को ही ठीक है।

श्री श्यामलाल गोयल—हाउस की ओपिनियन यही है।

श्री जवानसिंह—सेटरडे को मीटिंग नहीं हुआ करती इसलिये २ तारीख को रखा जावे। अब सदन की राय बिल्कुल साफ हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष—राय यही हुई है कि ३१ तारीख को मीट करना है।

श्री वेदपाल त्यागी—लेकिन सदन की राय ३१ तारीख को मीट करने को नहीं है।

श्री श्यामलाल गोयल—मैं समझता हूँ हमारी विशेज को रखा जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—जब हर मामले में सदन की राय मानते हैं तो इसमें सदन की राय क्यों नहीं मानी जाय ? ३१ तारीख के बजाय २ तारीख को ४ घन्टे के बजाय छः घण्टे काम कर लेंगे। आज भी काफी काम हुआ है। इतने विधेयक पास हो गये। नहीं तो फिर हमको भी काम करते समय कंसीडर करना पड़ेगा।

Page No 62

श्री उपाध्यक्ष—अच्छा। सदन की कार्यवाही २ अप्रेल १६५६ को ११ बजे प्रातः तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात सदन की कार्यवाही सायं ६–३५ बजे सोमवार, दिनांक २ अप्रेल को ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक- २६ मार्च, १६५६

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो संबंधित प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये और जिनके प्रकाशित करने की सम्बंधित मंत्री महोदयों की अनुमति है।)

२२३ (१०। एस. आर.एम.) श्री चांदमल मेहता, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ८७:—क्या सहकारी मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान में सहकारी विभाग में इन्सपेक्टर्स की संख्या कितनी है?

(२) १६५५-५६ के वित्तीय वर्ष में किस किस इन्सपेक्टर ने कितनी कितनी नई सहकारी समितियां बनवाई हैं?

(३) किस किस इन्सपेक्टर के मातहत कितनी कितनी सहकारी समितियां उक्त वर्ष में बन्द करदी गई हैं?

उत्तर

(१) सहकारी विभाग में इन्सपेक्टरोंकी संख्या ५८ है।

(२,३) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

क्रम सख्या	नाम यूनिट	इन्सपेक्टर के सर्किल का नाम	तादाद समितिया जो, बनाई गई।	जो बन्द की गई
१	जयपुर	जयपुर शहर	१२	....
२	,,	जयपुर उत्तर	२४	....
३	,,	जयपुर पूर्व	४३	....
४	,,	जयपुर पश्चिम	१३	....
५	,,	किशनगढ़	११	....
६	,,	सांभर	१५	....
७	,,	सवाई माधोपुर	१३	....
८	,,	हिंडौन	४	....
९	,,	महुवा	५	....
१०	,,	करौली	१८	....
११	,,	टोंक	२५	....

१	२	३	४	५
१२	,,	सीकर	२२	....
१३	,,	निरीक्षका	१	....
१४	जोधपुर	जोधपुर सिटी	६२	....
१५	,,	जोधपुर जिला	५२	....
१६	,,	पाली	४६	....
१७	,,	सुमेरपुर	१२	....
१८	,,	नागौर	४६	....
१९	,,	डीड़वाना	१६	....
२०	,,	सिरोही	१३	....
२१	अलवर	अलवर पूर्व	७	१
२२	,,	अलवर नार्थ	१०	....
२३	,,	बहरोड़	८	१
२४	,,	अलवर खास	७	१
२५	,,	राजगढ़	१	१
२६	कोटा	कोटा	७	....
२७	,,	लाडपुरा	१४	....
२८	,,	दीगांव	६	१
२९	,,	अन्ता	२०	....
३०	,,	बांरां	६	
३१	,,	अटक	२६	
३२	,,	सांगोद	१०	....
३३	,,	राम गंजमंडी	१०	३
३४	,,	भंवरगढ़	२१	....
३५	,,	झालरापाटन	३८	....
३६	,,	आबेरा	१६	१।
३७	,,	बूंदी	२०	....
३८	,,	तालेड़ा	३६	....

Page No 65

१	२	३	४	५
३६	भरतपुर	भरतपुर सिटी	६	४
४०	,,	भरतपुर	१	१
४१	,,	कुम्हेर	८	५
४२	,,	नदबई	१३	८
४३	,,	डीग	६	३
४४	,,	नगर	६	,,
४५	,,	धौलपुर	४१	,,
४६	,,	बयाना	४	११
४७	,,	रूपवास	८	८
४८	गंगानगर	बीकानेर	१६	....
४६	,,	गंगानगर	२३	....
५०	,,	हनुमानगढ़	६	....
५१	,,	रायसिंह नगर	१८	....
५२	,,	बागसर	४५	....
५३	उदयपुर	उदयपुर	१६	....
५४	,,	राजसमन्द	३४	....
५५	,,	भीम	२	....
५६	,,	भीलवाड़ा	४५	....
५७	,,	बांसवाड़ा	३२	....
५८	,,	सागवाड़ा	१४	....

232 (44/ATM) SHRI T. M, BAPNA M.L.A. Division No. 149—Will the Minister for Irrigation please state:—

1. How many Jagir tanks (Tehsilwise) have been handed over to the Irrigation Department in Bhilwara District ?

2. Is it a fact that some tanks have been unauthoritatively broken and their water let loose unnecessarily ?

3. Does the Government contemplate to maintain them properly during the coming rains so that they may be utilised for irrigation ?

—उत्तर

(१) भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में निम्नलिखित तालाब सिंचाई विभाग के चार्ज में अब तक लिये गये हैं:—

(१)	तहसील	आसीन्द	३१
(२)	,,	मांडल	४६
(३)	,,	भीलवाड़ा	१६
(४)	,,	छुरडा	२४
(५)	,,	मांडलगढ़	२
(६)	,,	शाहपुरा	१
(७)	,,	बनेडी	१०
(८)	,,	जहाजपुर	१
(९)	,,	कोटड़ी	१
(१०)	,,	रामपुर	१
(११)	,,	सहाड़ा	४

कुल संख्या १६८

इस विषय पर जांच की जा रही है।

(२) महकमा आबपाशी के चार्ज में आये हुये जागीरी तालाब जो टूटे हुये हैं, उनकी जरूरी मरम्मत कुछ की हो गई है और बाकी की जारी है उन तालाबों का पूरा इन्तजाम किया जायगा और उनसे अगली साल पिलाई की जावेगी :—

(३) निम्न लिखित तालाबों के सुधार के लिये आगामी वर्ष के बजट में प्रोवीजन रक्खा गया है:—

तालाबों के नाम	बजट में रक्खी गई रकम
(१) निम्बाहेड़ा तालाब	१०,०००)
(२) चौडी वाला	१०,०००)
(३) कन्वर तालाब	१०,०००)

(४) मगरास तालाब १०,०००)

(५) लूलास तालाब १०,०००)

बाकी जागीर के तालाबों की मरम्मत के लिये आगामी वर्ष के बजट में तीन लाख ३,००,०००) रुपये रक्खे गये हैं। यह रकम बजट में मन्जूर होने पर जागीर के तालाबों पर खर्च की जावेगी।

२३५ (४६।ए. टी. एम.) श्री सोहनलाल, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १४५—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सोम नदी के पिक अप वेयर के लिये कुल कितनी रकम खर्च होगी ?

(ख) इस पिक अप वेयर की दांयी व बांई नहर से किन किन ग्रामों की कितनी जमीन सिंचित होगी ?

(ग) क्या पिक वेयर के इस मौके के अलावा भी नीचे की ओर एक और अच्छा मौका है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में जांच करवायेगी ?

उत्तर

क—सोम नदी के पिक अप वेयर पर करीब ६ लाख रुपया खर्च होने का अभी अनुमान है।

ख—इन नहरों द्वारा सराड़ा व आसपुर तहसीलों में निम्नलिखित गांवों में पानी पहुँचाने की योजना है।

१. आसपुरा	२. रामपुर
३. कानपुर	४. पाड़ा
५. गुड़ा	६. भावड़ी
७. आड़ेवारिया	८. गननन
९. मोट	१०. देव सोमनाथ
११. शिवगढ़	१२. देवरान

इन नहरों द्वारा सिंचाई करीब साढ़े चार हजार एकड़ भूमि की होगी।

ग—यदि जांच करनी उचित समझी गई तो अवश्य करवाई जावेगी ।

२३७ (४८ ए. टी. एम.) श्री सोहनलाल, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १४५ :—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जयसमन्द की भाट नहर की सलूम्बर शाखा से कितनी जमीन की सिंचाई होगी और यह सिंचाई किन किन ग्रामों की होगी ?

(ख) इसी कार्य के अन्तर्गत सरनी नदी के बांई बाजू की नहर का कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

(ग) क्या बांई बाजू की नहर के लिये पानी सलूम्बर के तालाब में डालकर सरनी नदी पर पिक-अप वेयर बना कर ले जाया जाएगा ?

उत्तर

(क) इस नहर से ८ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। जिसमें निम्नलिखित गांव सम्मिलत हैं :—

(१) अगतालिया
(२) बसी
(३) ढाल
(४) सोदावाड़ा
(५) सलुम्बर
(६) धरोड़ा
(७) किरावाड़ा
(८) हिकावाड़ा
(९) कलुतड़ा
(१०) देवगांव
(११) खोलरी
(१२) जलारा
(१३) आमलोदा

(ख) इस विषय में हाल में पैमाइश की गई है । योजना बनने पर कार्यवाही की जावेगी ।

(ग) योजना विचाराधीन है, सर्वे की जा रही है ।

238 (50/A.T.M) Shri Sajjan Singh. M. L. A Division NO. 132—Will the Agriculture Minisnetr be pleased to state:—

(1) Has the Govt. started any experimental farms for the improvement of cotton and sugarcane in Bundi, Kotah and Jhalawar districts ?

(II) Has the long staple cotton and a better variety of sugarcane been experimented in Kotah Division in view of the increased production of these crops due to various irrigation projects and their consequent effect on the prosperity of the producers ?

(III) If so, what has been the result ?

उत्तर

१. बूंदी में एक कपास अनुसंधान केन्द्र नये वर्ष १९५६-५७ में खोला जारहा है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत उस क्षेत्र में गन्ने में अनुसंधान कार्य करने की एक योजना स्वीकार की गई है।

२. कोटा में विभिन्न जाति के गन्नों का परीक्षण किया जा रहा है। इस समय ८०४१६ किस्म के गन्ने को प्रचारित किया जा रहा है।

३. परीक्षण अभी तक जारी है।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या २३४ का उत्तर देखिये)

फेहरिस्त तालाबान गुजीस्ता पांच साले में बनाये गये मय उनकी लागत के हस्ब जेल हैं।
चित्तौड़ सब–डिवीजन ताल्लुक

नं० शु०	नाम तालाब	तहसील	लागत
१	दाढून का तालाब	चित्तौड़गढ़	३३०६०)
२	गलुन्ड का तालाब	,,	३१४७८)
३	सादी का तालाब	,,	५८६५)
४	काशमोर का तालाब	,,	७४२५)
५	मादल देह का तालाब	,,	१९१५१)
६	सिरोडी का तालाब	,,	५६०९)
७	घोसुन्डा का तालाब	,,	११८२५)
८	आम्बोलिया का तालाब	,,	१७१३५)
९	भदेसर का तालाब	भदेसर	४९२०)
१०	मंगलवाड़ का तालाब और नहरे	,,	६०१४५)
११	सालेरा का तालाब	गंगरार	४४६८३)
१२	भीम का नाका तालाब नहरो	छोटी सादड़ी	६४२५१)
१३	केनुन्दा का तालाब	,,	१६२८५)
१४	बसेड़ा तालाब नं० १	,,	१२१५९)
१५	बसेड़ा तालाब नं० २	,,	१२४६५)
१६	रम्भावली तालाब	,,	११५८१)
१७	रेवड़ा का तालाब	,,	३३२५)
१८	सिया खेड़ी का तालाब	,,	७४८०)
१९	इट्टू का तालाब	,,	२१५६)
२०	उंचा का तालाब और नहरें	निम्बा खेड़ा	१२३०००)
२१	मांगरोल का तालाब	,,	३९३००)
२२	धमाना का तालाब	कपासन	१७९४०)

Page No 71

२३	तुर्किया का तालाब	,,	११३२६)
२४	मूगाना का तालाब	,,	६१२७)
२५	सुरोपा का तालाब की नहरें	,,	१३८२४)
२६	कपासन का तालाब की नहरें	,,	३६००)
२७	सिंहपुर का तालाब	,,	१२३६२)
२८	केशर खेड़ी का तालाब	,,	५७५०)
२९	मेवदा का तालाब	,,	६२३७)
३०	नाथी का खेड़ा का तालाब	,,	५४७४)
३१	जड़ाना का तालाब	राशमी	३७७४)
३२	जड़ाना का बधा का तालाब	,,	७३११)
३३	लसाड़िया का तालाब	,,	२३७६)
३४	मर्मि का तालाब	,,	१०२६७)
३५	पावली का तालाब	,,	१३६८१)
३६	नानीरा का तालाब	,,	४९७४०)
३७	जशमा का तालाब	भूपाल सागर	७१२७६)
३८	भूपाल सागर का तालाब और नहरें	,,	६१४००)
३९	नन्दवाई का तालाब	तेहसिल बेंगू	३६००)

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या २३६ का उत्तर देखिये)

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	बीज दिया गया	कुल चाही कब्जे जमीन	गेहूँ बीजने का क्षेत्र
१.	सुखा पुत्र लादू	१ बोरी (२।। मन)	चाही १० बीघा पक्की	५ बीघा पक्की
२.	लादूराम पुत्र मूना	....	७ बीघा पक्की १५ बीघा लादू के साझे में	७ बीघा पक्की
३.	गोपी पुत्र बालू	....	२५ बीघा	१२ ,, ,,
४.	भूथा पुत्र पेमा	....	१५ बीघा	८ ,, ,,
५.	भोला पुत्र नरसा	....	८ बीघा १० बीघा सुखा के साझे में	८ बीघा
६.	गणेश पुत्र देवा	....	१६ बीघा	६ बीघा
७.	भगला पुत्र अमरा	....	६ बीघा	४।। बीघा
८.	घासीराम पुत्र काजूराम	३ मन १५ सेर	६ बीघा	६ बीघा
९.	हीरा पुत्र देवा बलाई	१ बोरी	१३ बीघा	५ बीघा
१०.	हणमान पुत्र तिलोका	....	११ बीघा	५ बीघा
११.	भूरा पुत्र डालू बलाई	....	१४ बीघा	७ बीघा

सांभर से ७१८ एन० ओ०

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	बीज दिया गया मन-सेर-छटांक	कुल चाही कब्जे की जमीन	गेहूं बीजने का क्षेत्र
१.	चिमना पुत्र तिलोका	२—२६—०	१५ बीघा	८ बीघा
२.	लिछमन पुत्र नन्दा	२—१८—०	१५ ,,	३।।- ,,
३,	अमरा पुत्र किशना	२—२३—८	४।। ,,	४।। ,,
४.	नाथू पुत्र इसरा	२—२५—४	१५ ,,	५ ,,
५.	खींवा पुत्र माना	२—२४—८	१५ ,,	५ ,,
६.	बीसा पुत्र अमरा	२—२४—८	४ ,,	४ ,,

		म० से० छ०		
७.	गोधा पुत्र रेखा	५— ८—८	८ बीघा	५ बीघा
८.	भोला पुत्र नरसा	२—२५—०	१० ,,	१० ,,
९.	इसरा पुत्र परसा	२—२४—८	७ ,,	३॥ ,,
१०.	पेमा पुत्र चेता	२—२४—८	१७ ,,	७ ,,
११.	तिलोक पुत्र हुक्मा	२—२५—०	१७ ,,	८ ,,
१२.	हणूता पुत्र बोबत	२—१९—०	१५ ,,	९ ,,
१३.	भाना पुत्र रतना	५— ७—०	२५ ,,	८ ,,
१४.	लादू पुत्र सरुपा	२—२६—०	३० ,,	१० ,,
१५.	गणेश पुत्र देवा	५— ८—०	२० ,,	८ ,,
१६.	चोथू पुत्र तिलोका खाती	२—२७—०	८ ,,	४ ,,
१७.	गोपी पुत्र बोपत	२—२३—०	८ ,,	५ ,,
१८.	नीला पुत्र लादू	२—२४—८	८ ,,	५ ,,
१९.	बीधा पुत्र रखा	२—२५—०	२० ,,	५ ,,
२०.	पुत्र लालू बालू	५— ७—०	२० ,,	८ ,,
२१.	बक्सा पुत्र इसरा	२—२४—०	१२ ,,	५ ,,
२२.	मौला पुत्र भूदा	२—२४—८	२० ,,	५ ,,
२३.	पूरा पुत्र लालू	२—२४—८	६ ,,	३ ,,
२४.	लालू पुत्र तिलोका	२ बोरी	१५ ,,	५ ,,
२५.	दोल्या पुत्र तिलोका	१ बोरीं	१० ,,	४ ,,
२६.	हणमान पुत्र लादू	१ बोरी	४ ,,	३ ,,
२७.	गोपी पुत्र बालू	२ बोरी	३० ,,	८ ,,
२८.	सागरमल पुत्र कालूलाल	२ बोरी	२० ,,	६ ,,

परिशिष्ट ४

कृपया प्रश्न संख्या २५० का उत्तर देखिये

सूचि समितियां जिला चित्तौड़गढ़ मय रकम कर्जा जो केन्द्रीय बैंक लि०, भीलवाड़ा द्वारा दिया गया।

संख्या	नाम समिति	नाम तहसील	कर्जा दिया गया १९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६
१	२	३	४	५	६
१.	हनुमन्तिया कृषि साख	छोटी सादड़ी	....	....	....
२.	छोटी सादड़ी यादव बहुधंधी सहकारी समिति लि०	,,	....	६००)	....
३.	चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०	,,	....	१२५१)	१३८०)
४.	श्री छोटी सादड़ी चर्म उद्योग सहकारी समिति लि०	,,	....	....	....
५.	ग्राम उद्योग सहकारी समिति लि०	,,	,,	....	....
६.	टकुराई कृषि साख सहकारी समिति	बैंगू	,,	३६५)	....
७.	ग्रामल खेड़ा कृषि साख	,,	,,	४५६)	....
८.	चीचोर कृषि साख	,,	,,	८१८)	२७५०)
९.	कोठोन्दा कृषि साख	,,	,,	....	....
१०.	बुनकर सहकारी समिति, बैंगू	,,	,,	....	....
११.	बहुत धन्धी सहकारी समिति लि० पारसोली	,,	,,	....	....
१२.	चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०, बैंगू	,,	,,	....	....
१३.	बहुधन्धी सहकारी समिति लि०, दोलतपुरा	,,	,,	....	....
१४.	लोकप्रिय बुनकर सहकारी समिति लि०	,,	,,	....	....
१५.	वनवासी सहकारी सोसाइटी, आरनोद	अपनारा	,,	....	....
१६.	किसान बहुधन्धी सहकारी समिति लि०, फतेहगढ़	,,	,,	....	....
१७.	नागदेडा बहुधन्धी सहकारी समिति, नागदेडा	,,	,,	....	....
१८.	जांजली बहुधन्धी सहकारी समिति, जांजली	,,	,,	....	....

१	२	३	४	५	६
१९.	आदर्श सहकारी समिति लि०	बड़ी सादड़ी	....	....	....
२०.	वस्त्र उत्पादक सहकारी लि०	प्रतापगढ़	....	....	....
२१.	खेरोट बहुधन्धी सहकारी समिति	,,	....	....	....
२२.	बड़ी यादव निर्माण सहकारी समिति लि०	,,	....	....	....
२३.	गांधी बहुधन्धी सहकारी समिति, अमलावाद	,,	....	....	१७८००)
२४.	बुलनीपुर बहुधन्धी सहकारी समिति	,,	....	....	....
२५.	अम्बामाता बहुधन्धी सहकारी समिति	,,	....	....	....
२६.	श्री वंनगर कामारिया प्रतापगढ़ सहकारी समिति लि०		....	....	....
२७.	प्रतापगढ़ मोचियान चर्म उद्योग सहकारी समिति लि०	,,	....	....	....
२८.	धामोतरा बहुधन्धी सहकारी समिति	,,	....	....	....
२९.	सिद्धपुरा बहुधन्धी सहकारी समिति	,,	....	....	....
३०	लातौड़ी बहुधन्धी सहकारी समिति	प्रतापगढ़	....	....	....
३१	खैरोट ,, ,,	,,	....	....	५५०)
३२	जहाजपुर ,, ,,	,,	....	,,	,,
३३	श्री गोपाल ,, ,,धमोतर	,,	....	,,	,,
३४	अवलेश्वर ,, ,,	,,	....	९५)	,,
३५	गन्धेर ,, ,,	,,	....	,,	,,
३६	वस्तु उत्पादक सहकारी समिति लि०, कपासन,	कपासन	....	,,	,,
३७	वस्तु उत्पादक सहकारी समिति लि० भट्टोका धामनिया		....	,,	,
३८	वस्तु उत्पादक सहकारी समिति लि०, धमाना	,,	....	,,	,,
३९	गोपाल खेड़ा बहुधन्धी सहकारी समिति	,,	....	,,	,,
४०	केसर खेड़ी	,,	....	,,	,,
४१	कपासन चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०	,,	...	,,	६००)
४२	धौलुन्डा बहुधन्धी सहकारी समिति लि०	चित्तौड़गढ़		,,	,,

१	२	३	४	५	६
४३	जोन नगर उत्पादक सहकारी समिति लि०	,,	,,	....	....
४४.	श्री रैगर ,, ,, ,, ,,	,,	,,	....	...
४५.	श्री कंकारिया मीनो का बचत व खास सहकारी समिति लि०	,,	,,	....	.... ४४००)
४६.	चौथाणा सहकारी बचत व साख समिति	,,	,,	....	२४२५)
४७.	बचत व साख समिति रोलाहेडा	,,	,,	....	२०००)
४८.	अमला खेड़ा बचत व खास समिति	,,	,,	....	२०००)
४९.	चोथपुर बहुधन्धी सहकारी समिति	,,	,,	....	२६१००)
५०.	गृह निर्माण सहकारी समिति	,,	,,	....	....
५१.	चित्तौड़ कपड़ा उत्पादक सहकारी समिति	,,	,,	....	....
५२.	नीलगर उत्पादक सहकारी समिति लि०	,,	,,	....	....
५३.	वस्तु उत्पादक सहकारी समिति लि०, परेडाणा शमी		,,	....	....
५४.	बहुधन्धी सहकारी समिति लि०, गगरार	,,	,,	....	...
५५.	जवानपुरा बहुधन्धी सहकारी समिति लि०	,,	,,	....	....
५६.	राशमी बहुधन्धी सहकारी समिति लि०	,,	,,	....	....
५७.	गर्जनिया बचत व साख समिति	,,	,,	....	....
५८.	श्री ताड़गुड़ उत्पादक सहकारी समिति लि०, अचारी निम्बाहेडा	,,	,,	....	....
५९	दलितवर्ग सहकारी उत्पादक समिति लि०,	,,	,,	....	....
६०	किसान बहुधंधी सहकारी समिति लि०, मगंलिया डूगंला		,,	....	६२००)
६१	श्री रेगर उत्पादक सहकारी समिति लि०, सामता (गंगरार)		,,	....	....
६२	सोनिमाना बहुधन्धी सहकारी समिति,	,,	,,	....	३०००)

शुद्धि-पत्र

दिनांक २६ मार्च, १९५६

(१) पेज नं० १६६५ पर "डिसट्रिक्ट" के स्थान पर डिस्ट्रिक्ट पढ़ा जाय।

(२) पेज नं० १६६५ पर पुनःस्थापन के स्थान पर "पुरः स्थापन" पढ़ा जाय।

(३) पेज नं० १६६७ पर "सार्वजनिक" के स्थान पर "सार्वजनीन" पढ़ा जाय।

(४) पेज नं० १६६७ पर "परित" के स्थान पर "पारित" पढ़ा जाय।

(५) पेज नं० १६६६ पर "परिश्रमिक विधेयक" के स्थान पर "पारिश्रमिक संशोधन विधेयक" पढ़ा जाय।

(६) पेज नं० १६७१ पर "मुद्रांक निधि अनुकूलन" (अनुकूलन) के स्थान पर "मुद्रांक विधि (अनुकूलन) संशोधन विधेयक, १९५६" पढ़ा जाय।

(७) पेज नं० १६६१ पर "नौका नयन नियमन विधेयक, १६६५" के स्थान पर "नौका नयन नियमन विधेयक, १९५६" पढ़ा जाय।

(८) पेज नं० १६६२ पर "उद्यान विधेयक" के स्थान पर "उद्यान विधेयक" पढ़ा जाय

(९) पेज नं० १६६५ से १६६८ तक "सर्वजनिक उद्यान विधेयक" के स्थान पर "सार्वजनिक उद्यान विधेयक, १९५६" पढ़ा जाय।

(१०) पेज नं० १५०९ पर "तेहसिल" के स्थान पर "तहसील" पढ़ा जाय।